राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

वार्षिक रिपोर्ट

1980-81

17-बी, श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110 016

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9361
Date......5-12-96

विषय-सूची

	आभारज्ञापन	vii
	विहंगावलोकन	i
	प्रशासन तथा वित्त	
	उद्देश्य	9
	परिषद्	19
	कार्यकारिणी समिति	11
	वित्त-समिति	11
	कार्यक्रम सलाहकार समिति	11
	वित्त	12
	छात्रावास	12
	स्टाफ क्वाटर	12
	स्टाफ	12
II	**कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की समीक्षा**	
	(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम 1980-81	17
	(ख) परामर्श सेवा	23
	(ग) अनुसंधान तथा अध्ययन	
	— अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण	24
	— शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नौ राज्यों में शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासनका अध्ययन	26

—हरियाणा के लिए शैक्षिक मानकों के विकास का अध्ययन 26

— राज्यों । संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षिक योजना, परिवीक्षण तथा सांख्यिकी की संगठनात्मक व्यवस्था तथा पद्धति का अध्ययन 27

(घ) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 27

(ङ) अभ्यागत 28

(च) पुस्तकालय तथा प्रलेखन सेवाएं 31

(छ) प्रकाशन 31

भाग II का अनुबन्धः कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की समीक्षा

— वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम 39

— माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए स्कूल प्रबन्ध संबंधी संगोष्ठी (मई 19-28, 1980) 46

— उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (8-20-दिसंबर, 1980) 48

— गोआ के स्कूलों तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानों के लिए स्कूल-प्रबंध संबंधी संगोष्ठी (22-31 दिसंबर, 1980) 49

— हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण पर संगोष्ठी (27जनवरी-1 फरवरी,1981) 50

— 1980-81 के दौरान जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास संगोष्ठियां 52

— तमिलनाडु के कालेजों के वरिष्ठ आचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास पाठ्यक्रम (7-16 अप्रेल, 1980) 58

महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम 60

— यू०एस०ई०एफ०आई० की विश्वविद्यालय प्रशासक परियोजना, 1981 के अधीन संयुक्त/राज्य अमरीका के प्रस्थान करने वाले महाविद्यालयके प्रधानाचार्यों के प्रवर-समूह के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (2-3 फरवरी, 1981) 69

— आंध्र प्रदेश के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम (25 फरवरी-6 मार्च, 1981) 70

— भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्त-अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रबध सबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम (5-17 मई, 1980) 71

— कृषि विश्वबिद्यालयों के नियंत्रकों के लिए वित्तीय प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम (22 अक्तूबर-1 नवंबर, 1980) 73

— जममू तथा कश्मीर के जिला तथा तहसील शैक्षिक योजना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण-संगोष्ठी (21 अप्रैल-3मई, 1980) 75

— भारत में विद्यालयशिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों तथा सचिवों के लिए विद्यालयी शिक्षा के प्रबंधकीय पक्षों पर संगोष्ठी (4-6 अगस्त, 1980) 77

— सांख्यिकीय सहायकों के लिए शैक्षिक सांख्यिकी में दूसरा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (4-16 अगस्त, 1980) 79

— शिक्षा सचिवों तथा शिक्षा निदेशकों की संगोष्ठी (22-24अगस्त, 1980) 81

— राष्ट्रीय सेवायोजना के प्रमुख कार्मिकों के लिए अभिविब्यास कार्यक्रम(13-16 जनवरी, 1981) 83

— राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रमुख कार्मिकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (22-24 जनवरी, 1981) 84

— संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययन पर्यवेक्षकों पाठ्यचर्या निदेशकों के लिए भारतीय इतिहास तथा संस्कृति से संबंधित कार्यशाला (30 जून -16 जुलाई, 1980) 886

— भूटान की यूनेस्को अध्येता के लिए संलग्न कार्यक्रम (4-16 सितम्बर, 1980) 888

शैक्षिक योजना, सांख्यिकी तथा प्रशासन में प्रशिक्षण के लिए अफगानिस्तान के यूनेस्को अध्येताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम (22 सितंबर-6 दिसम्बर, 1980) 889

— शैक्षिक सुविधाओ के क्षेत्र में हुए अनुभवों के आदान -प्रदान पर अन्तर्देशीय कार्यशाला (15-22 नवंबर, 1980) 900

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित श्रीलंका के शिक्षा अधिकारियों का भारत अध्ययन दौरा (24 नवम्बर-6 दिसंबर, 1980) 931

शैक्षिक योजना तथा प्रबंध में दूसरा पत्राचार पाठ्यक्रम : एक संपर्क कार्यक्रम (26-31 मई, 1980) 932

शैक्षिक योजना तथा प्रबंध संबंधी तीसरा पत्राचार पाठ्यक्रम: एक सपर्क कार्यक्रम (16-21 फरबरी, 1981) 944

III परिशिष्ठ

परिशिष्ट 1 : 31-3-1981 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन परिषद के सदस्यों की सूची 997

परिशिष्ट 2 : 31-3-1981 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची 1002

परिशिष्ट 3 : 31-3-1981 के अनुसार वित्त-समिति के सदस्यों की सूची 1003

परिशिष्ट 4 : कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची 1004

परिशिष्ट 5 : 31-3-1981 के अनुसार राष्ट्रीय संस्थान संकाय 1006

परिशिष्ट 6 : स्टाफ संबंधी परिवर्तन 1007

परिशिष्ट 7 : 1980-81 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट 1008

आभारज्ञापन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा राज्य एवं संघशासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा संस्थान के क्रियाकलापों में ली गई रूचि तथा उनके सहयोग के लिए इन सभी का आभारी है। संस्थान उन विभिन्न विशेषज्ञों का भी आभारी है जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर संस्थान के अनेक कार्यक्रमों के संचालन में अतिथिवक्ताओं/विशेषज्ञों के रूप में काम करके संस्थान को सहयोग दिया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, राज्य शिक्षा विभागों, एशिया तथा ओशिनिया में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक तथा भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान द्वारा संस्थान के कुछ कार्यक्रमों के संचालन में दिए गए सहयोग के लिए हृदय से उनके प्रति आभारी है।

विहंगावलोकन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा, शिक्षा आयोग (1964-66) तथा योजना आयोग के शैक्षिक योजना, प्रशासन तथा मूल्यांकन कार्यकारी दल की सिफारिश पर 31 दिसम्बर, 1970 को, की गई थी। इससे पूर्व इस संस्थान को शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालेज के नाम से जाना जाता था। संस्थान के उद्देश्य हैं : शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करना तथा राज्यों और केन्द्र के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना और अन्य देशों, विशेषकर एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग करना।

यह संस्थान, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त संस्थान है। मूलत: इसका पंजीकरण 31 दिसम्बर, 1970 को एन० एस० सी० ई० पी० ए० के नाम से किया गया था। 31 मई, 1979 को इसे दोबारा नए नाम से पंजीकृत कराया गया।

इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय संस्थान की अप्रेल, 1980 से मार्च, 1981 तक की अवधि की प्रमुख गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख क्रियाकलापों का ब्योरा इस प्रकार है :

I नए क्रियाकलाप

नियमित कार्यक्रमों को चलाने के अतिरिक्त संस्थान द्वारा इस वर्ष कुछ नए क्रिया-कलापों का श्री गणेश किया गया, 4 नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाना तथा 3 विशिष्ट संगोष्ठियों और एक अंत:देशीय कार्यशाला का आयोजन करना। इन क्रियाकलापों का उल्लेख नीचे किया गया है।

1 वरिष्ठ स्कूल-प्रशासकों के लिए 3 सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम

सामान्य शैक्षिक समस्याओं तथा उनके समाधानों के एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य का विकास करने के लिए निजी अनुभवों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से जिला शिक्षा अधिकारियों तथा उनसे ऊंचे ओहदे के वरिष्ठ शिक्षा प्रशासकों के लिए पहली बार 3 सप्ताह की अवधि के 3 कार्यक्रम शुरू किए गए। राज्य सरकारों/संघशासित

क्षेत्रों के प्रशासनों से यह निवेदन किया गया था कि वे प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र से इन तीनों कार्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए कम से कम छः व्यक्तियों के नाम अवश्य भेजें। प्राप्त नामों में से संस्थान ने प्रत्येक कार्यक्रम के लिए हर यूनिट से दो-दो व्यक्तियों का चयन किया। इस चयन में महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के नियंत्रणों के उम्मीदवारों और हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारियों के पद पर प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों को तरजीह दी गई। इस प्रकार के तीन पाठ्यक्रमों के तीन पाठ्यक्रमों के पहले क्रम में 45 वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों को प्रशिक्षित किया गया और उन्होंने इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया।

2 तमिलनाडु में महाविद्यालयों के वरिष्ठ आचार्यों के अभिविन्यास कार्यक्रम

कॉलिजियेट शिक्षा निदेशालय, तमिलनाडु सरकार के आग्रह पर संस्थान में पहली बार 34 वारिष्ठ महाविद्यालय आचार्यों के लिए मद्रास में दस दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम की सराहना की।

3 कृषि विश्वविद्यालयों के नियंत्रकों के लिए वित्तीय-प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के आग्रह पर कृषि विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय प्रबन्ध से संबंधित अपनी किस्म का पहला दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से आए 13 व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ, कृषि विश्वविद्यालयों की वित्तीय प्रबन्ध सम्बन्धी कुछ नवीन प्रक्रियाओं तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के वित्तीयन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया।

4 जम्मू-कश्मीर के जिला तथा तहसील स्तर के शैक्षिक योजना अधिकारियों के लिए पहली प्रशिक्षण संगोष्ठी

राज्य शिक्षा विभाग के आग्रह पर संस्थाम ने जम्मू कश्मीर के जिला तथा तहसील-शैक्षिक योजना अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना में सांख्यिकीय तकनीकों के अनुप्रयोग से सम्बन्धित दो सप्ताह की पहली प्रशिक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में 3 जिलों तथा 18 तहसीलों के 22 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

5 अध्यक्षों तथा सचिवों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के प्रबन्धकीय पक्षों में संबंधित संगोष्ठी

भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की परिषद् के सहयोग से संस्थान ने भारत के विभिन्न माध्यमिक बोर्डों का प्रतिनिधित्य करने वाले 22 अध्यक्षों तथा सचिवों के लिए स्कूली शिक्षा के प्रबन्धकीय पक्षों पर एक तीन दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

6 शैक्षिक सुधारों पर शिक्षा सचिवों तथा शिक्षा निदेशकों की संगोष्ठी

विभिन्न शैक्षिक सुधारों तथा उनके क्रियान्वयन पर मुक्तभाव से विचारविमर्श के लिए संस्थान ने विभिन्न राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों से चुने गए शिक्षा सचिवों तथा शिक्षा निदेशकों की अपने किस्म की पहली संगोष्ठी-माला का आयोजन किया। इन संगोष्ठियों के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य, छठी पंचवर्षीय योजना के उपागम को अंतिम रूप देने से पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में हुए विगत अनुभवों, विशेषकर असफलताओं तथा कठिनाइयों का सम्यक् विश्लेषण करना था। इस द्वि दिवसीय संगोष्ठी में 12 राज्यों तथा 2 संघशासित क्षेत्रों के 19 शिक्षा सचिवों तथा शिक्षा निदेशकों ने भाग लिया।

7 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं पर संगोष्ठी

केन्द्रीय शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के आग्रह पर संस्थान ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के संगठन तथा क्रियान्वयन की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से पहली बार विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में छात्रवृत्ति योजनाओं के काम की देखरेख करने वाले 23 प्रमुख कार्मिकों की राष्ट्रीय स्तर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

8 शिक्षा सुविधाओं से संबंधित अनुभवों के आदान-प्रदान पर अंतःदेशीय कार्यशाला

एशिया तथा ओशिनिया में शिक्षा के लिए यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक के आग्रह पर संस्थान ने केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्र में हुए अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु इंडोनेशिया, फिलीपीन्स तथा भारत के प्रतिनिधियों की एक सप्ताह की एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय दौरों पर भी चर्चा की गई। हाल के वर्षों में यह कार्यशाला अपने किस्म की पहली थी।

9 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षिक योजना, परिवीक्षण तथा सांख्यिकी की संगठनात्मक व्यवस्था तथा पद्धतियों का अध्ययन

संस्थान ने शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय और योजना आयोग के सहयोग से विभिन्न राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में चल रही शैक्षिक योजनाओं, सांख्यिकी तथा परिवीक्षण व्यवस्था के अध्ययन का काम हाथ में लिया है। पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित रिपोर्टें अभी तैयार की जा रही हैं।

10 भारत में सरकारी आंकड़ों से संबंधित प्रकाशनों की ग्रंथ-सूची

संस्थान ने कार्यालय संबंधी शैक्षिक सांख्यिकी पर एक सटिप्पण ग्रन्थ सूची तैयार करने तथा इस पर विविध राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा राज्य स्तर पर भी विशेष अध्ययन का कार्य हाथ में लिया।

11 भारत में शैक्षिक विकास के चुने हुए सांख्यिकी सूचक—1980

साधारण सांख्यिकीय सूचकों के माध्यम से अंतः राज्यीय। संघ शासित क्षेत्रीय तुलना करने की दृष्टि से द्वितीयक साधनों से शैक्षिक आंकड़ों का चयन किया। यह प्रकाशन सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

12 जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना की पुस्तिका

जिला स्तर पर शैक्षिक योजनाएं तैयार करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से एक जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिका योजना 'पुस्तिका' तैयार की गई है। यह पुस्तिका सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के समीक्षार्थ भेज दी गई है।

13 पत्राचार पाठ्यक्रम में विशेष प्रशिक्षण

संकाय की दो समस्याओं डा० सुषमा भागिया तथा डा० (श्रीमती) कुसुम प्रेमी, अनुसंधान प्रशिक्षण एसोसिएट को 4 सप्ताह के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम-व-स्टाफ विकास संबंधी शैक्षिक योजना तथा प्रबन्ध कार्यशाला में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया जिसका आयोजन एशिया तथा ओशिहनिया में शिक्षा के लिए यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक में किया गया था। कार्यशाला की तीन अवस्थाएं थीं। पहली अवस्था में पत्राचार पाठ्यक्रम तथा दूसरी में कार्यशाला सत्र तथा तीसरी में बैंकाक स्थित शैक्षिक संस्थाओं की अध्ययन यात्राएं तथा थाइलैंड के दक्षिणी भाग सोंगखला क्षेत्र का व्यावहारिक क्षेत्रीय अभ्यास सम्मिलित था।

II परामर्श सेवा

हरियाणा सरकार के आग्रह पर, हरियाणा के लिए शैक्षिक मानकों के विकास का अध्ययन करने का कार्य सन् 1979 में शुरू किया गया, जो अब लगभग पूरा होने वाला है।

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के आग्रह पर, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षिक योजना की संगठनात्मक व्यवस्था तथा उसकी पद्धति, परिवीक्षण तथा सांख्यिकी के अध्ययन का काम छह चुने हुए राज्यों में शुरू किया गया।

III अनुसंधान तथा अध्ययन

— सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शैक्षिक प्रशासन के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और उन सब की पृथक-पृथक रिपोर्टें भी प्रकाशित की जा चुकी हैं।

— शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े नौ राज्यों, अर्थात, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा

पश्चिम बंगाल में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और सभी राज्यों की अलग-अलग रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।

IV प्रकाशन

सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा संगत पाठ्य सामग्री एवं प्रलेखों की 31 अनुलिखित रिपोर्टें प्रकाशित करने के अतिरिक्त, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित का प्रकाशन भी किया गया :

1 शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण रिपोर्ट

— गुजरात

— मणिपुर

— राजस्थान

2 भारत में जनांकिकीय तथा शैक्षिक आंकड़े

यूनेस्को सांख्यिकी कार्यालय, पेरिस तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित भारत में स्कूल नामांकन दर्शाने की विधियों पर आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी में लेख प्रस्तुत किए गए।

3 अन्तर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप के लिए शिक्षा

भारतीय अनुभव—यूनेस्को द्वारा प्रायोजित परियोजना की रिपोर्ट।

4 निम्नलिखित में प्रारंभिक शिक्षा का प्रशासन

— आंध्र प्रदेश

— जम्मू तथा कश्मीर

— मध्य प्रदेश

— उत्तर प्रदेश

5 जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक योजना पुस्तिका (अनुलिखित)

6 भारत में शैक्षिक विकास के कुछ चुने हुए सांख्यिकी सूचक : 1980

7 भारत में सरकारी आंकड़ों के प्रकाशनों की एक सटिप्पण ग्रंथ सूची तैयार की जा रही है।

8 शैक्षिक योजना तथा प्रशासन बुलेटिन

उक्त बुलेटिन संस्थान की एक त्रैमासिक प्रकाशन है, जिसमें शैक्षिक योजना तथा प्रकाशन के क्षेत्र में, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श तथा विस्तार सेवा संबंधी अधुनातन जानकारी प्रकाशित की जाती है । अनुसंधान लेखों के अतिरिक्त उक्त बुलेटिन में महत्वपूर्ण शैक्षिक विषयों की रिपोर्टें और यूनेस्को तथा शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त प्रलेखों की समीक्षा भी प्रकाशित की जाती है । बुलेटिन में संस्थान के कार्यक्रमों तथा स्टाफ के क्रियाकलापों की सूचना भी दी जाती है ।

— खंड III, संख्या 1,2,3, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर, 1980

— खंड III, संख्या 4 तथा खंड IV, सं० 1–जनवरी तथा अप्रैल, 1981

V कठिनाइयां

संकाय के लिए नियुक्तियां करने में संस्थान विशेष कठिनाई का अनुभव कर रहा है क्योंकि संस्थान के कैंपस में आवासी क्वार्टरों की बहुत कमी है । कैंपस में प्रावस्थाबद्धक्रम में क्वार्टरों के निर्माण शुरू करके अब इस समस्या का समाधान करने का प्रयास, किया जा रहा है । इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है ।

VI व्यय

योजनेतर	योजनागत
रु० 19.72 लाख	रु० 22.61 लाख
कुल जोड़ 42.33 लाख	

रिपोर्ट दो भागों में बांट दी गई है । भाग I में प्रशासन तथा वित्तीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है । भाग II में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का सार संक्षेप में दिया गया है ।

I

प्रशासन तथा वित्त

शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान की स्थापना, जिसे पहले शैक्षिक योजनकारों तथा प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालेज के नाम से जाना जाता था, 31 मई 1979 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के अधीन की ना गई थी ।

उद्देश्य

संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के वरिष्ठ शैक्षिक अधिकारियों के लिए सेवा पूर्ति तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशालाएं, बैठकों, संगोष्ठियों तथा जानकारी सत्रों का आयोजन करना ;

(ख) अध्यापक प्रशिक्षकों तथा शैक्षिक योजना तथा प्रशासन से संबंधित विश्व-विद्यालयों तथा कालेज के प्रशासकों के लिए अभिविन्यास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ;

(ग) केन्द्रीय राज्य सरकारों में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में नीति-निर्माण के कार्य से संबद्ध विधायकों सहित अन्य सभी शीर्षस्थ व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास कार्य क्रमों, संगोष्ठियों तथा चर्चा-समूहों का आयोजन करना ;

(घ) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के विभिन्न पक्षों में अनुसंधान कार्य करना, तत्संबंधी अनुसंधान में सहायता करना, उसे प्रोत्साहित करना तथा इस क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान कार्य को समन्वित करना । साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों तथा विश्व के अन्य देशों की योजना तकनीकों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना ;

(ङ) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के काम में लगे विभिन्न अभिकरणों, संस्थाओं तथा कार्मिकों का शैक्षणिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से मार्गदर्शन करना;

(च) आग्रह किए जाने पर राज्य सरकारों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श-सेवा प्रदान करना;

(छ) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सेवा तथा तत्संबंधी अन्य कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार सम्बन्धी सभी प्रकार के विचारों तथा सूचनाओं के समाशोधन-गृह के रूप में काम करना ;

(ज) उक्त उद्देश्यों की ही पूर्ति की दिशा में लेखों, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के लेखन, मुद्रण तथा प्रकाशन की व्यवस्था करना, विशेषकर एक शैक्षिक योजना तथा पत्रिका का प्रकाशन करना ;

(झ) उक्त उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रबन्ध तथा प्रशासन संस्थाओं और भारत तथा विदेश स्थित अन्य सहबद्ध संस्थाओं सहित अन्य अभिकरणों, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ सहयोग करना ;

(ञ) संस्थान के उक्त उद्देश्यों में संवर्धन करने की दृष्टि से अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियां तथा शैक्षणिक पुरस्कार देना ;

(ट) शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गणमान्य शिक्षाविदों को सम्मानार्थ अध्येतावृत्तियां प्रदान करना ;

(ठ) अन्य देशों, विशेषकर एशियाई प्रदेश के देशों को, आग्रह किये जाने पर शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना तथा उक्त प्रकार के कार्यक्रमों में उनके साथ सहयोग करना ।

परिषद्

संस्थान का शिखर-निकाय परिषद् है जिसका प्रधान अध्यक्ष होता है जिसे भारत सरकार नामित करती है । राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान का निदेशक इसका उपाध्यक्ष होता है । परिषद् के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं :

— अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

— भारत सरकार के 4 सचिव (शिक्षा, वित्त, योजना आयोग और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

— निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

— 6 शिक्षा सचिव (5 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र से)

— 6 शिक्षा निदेशक (5 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र से)

— 6 गणमान्य शिक्षाविद्

— कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान

— राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संकाय का एक सदस्य ।

परिषद् के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–1 में दी गई है । परिषद् की बैठक वर्ष में कम के कम एक बार अवश्य आयोजित की जाती है । प्रोफेसर डी० टी० लाकड़ावाला परिषद् के अध्यक्ष हैं । समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद् की एक बैठक 27 नवम्बर, 1980 को आयोजित की गई थी ।

कार्यकारिणी समिति

कार्यकारिणी समिति, जिसका अध्यक्ष संस्थान का निदेशक होता है, संस्थान के प्रशासन की देखरेख करती है । समिति अपना कार्य वित्त समिति तथा कार्यकम सलाहकार समिति के माध्यम से करती है । कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट ii में दी गई है ।

विभिन्न शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों पर विचार करने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान 28 जून, 27 अगस्त तथा 30 सितम्बर, 1980 को तीन बैठकें आयोजित की गई ।

वित्त समिति

अध्यक्ष, संस्थान के निदेशक की पदेन अध्यक्षता के अधीन एक वित्त समिति की नियुक्ति करता है । यह समिति लेखाओं और बजट प्राक्कलनों की जांच करती है तथा नए व्ययों के बारे में रखे गए प्रस्तावों के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति की अपनी सिफारशें पेश करती है । वित्त समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट iii में दी गई है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्त समिति की दो बैठकें 5 जून तथा 29 सितम्बर, 1980 को आयोजित की गई ।

कार्यक्रम सलाहकार समिति

प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के संबंध में संस्तुति करने तथा सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को समन्वित करने और संस्थान के कार्य के शैक्षणिक पक्ष की जांच करने के लिए कार्यकारिणी समिति ने नियम 29 के अधीन एक कार्यक्रम सलाहकार समिति का गठन किया । निदेशक महोदय इस समिति के अध्यक्ष हैं । समिति की दूसरी बैठक 30 सितम्बर, 1980 को आयोजित की गई जिसमें संस्थान के कार्यक्रमों के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत तय किए गए । कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट iv में दी गई है ।

वित्त

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान की संपूर्ण वित्त व्यवस्था, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्थान को 40.99 लाख रुपये (18.98 लाख 'योजनेतर' लेखे तथा 22.01 लाख 'योजना' लेखे के लिए) का अनुदात प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त गत वर्ष के अथशेष के रूप में 1.11 लाख रुपये भी संस्थान को उपलब्ध हुए। साथ ही संस्थान को 48,348 रुपये की राशि छात्रावास के किराये के रूप में तथा 17,844.08 रुपये की राशि विविध प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुई। 44.80 लाख रुपये (अथशेष की राशि सहित) की प्राप्तियों में से सम्बन्धित अवधि के दौरान कुल 42.33 लाख रुपये (19.72 लाख रु० योजनेतर लेखे से तथा 22.61 लाख रुपये 'योजना' लेखे से) खर्च किए गए। वर्ष 1980-81 के लेखाओं की लेखापरीक्षा 1981 में की गई। वार्षिक लेखे की प्रति तथा लेख। परिक्षा रिपोर्ट परिशिष्ट vii में दी गई है।

छात्रावास

संस्थान नई दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित करता है, वे आवासी होती है। प्रशिक्षणार्थियों को एक सात मंजिले छात्रावास में रखा जाता है जिसमें पूर्णत: सज्जित 48 कमरे हैं। इन सभी कमरों में संलग्न स्नानगृह की व्यवस्था है तथा प्रत्येक कमरे दो बिस्तरों से सज्जित हैं।

स्टाफ क्वार्टर

कार्यकारिणी समिति ने विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ क्वार्टरों का प्रावस्थाबद्ध क्रम से निर्माण किये जाने की दिशा में प्रथम प्रावस्था का अनुमोदन कर दिया है। प्रथम प्रावस्था के एक हिस्से के रूप में टाइप 'ए' क्वार्टरों के निर्माण का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। टाइप 'ई' के क्वार्टरों (संकाय) का निर्माण शुरू होने वाला है। संस्थान ने उक्त निर्माण कार्य के लिए 19.62 लाख रुपये केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग के पास जमा करवा दिए हैं। छात्रावास से संबद्ध मनोरंजन हाल का निर्माण-कार्य शीघ्र ही शुरू होने वाला है।

स्टाफ

प्रोफेसर एम० वी० माथुर 3 अक्तूबर, 1980 तक संस्थान के निदेशक के पद पर आसीन रहे। तदनन्तर कार्यपालक निदेशक श्री जे० वीर राघवन ने कार्यकारी निदेशक के रूप में संस्थान का कार्य-भार संभाल लिया और रिपोर्टाधीन वर्ष की समाप्ति तक इस रूप में काम करते रहे। डा० जे० एन० कौल, परामर्शदाता, 31 दिसम्बर, 1980 को सेवा निवृत्त हो गए। उनके स्थान पर डा० आर० पी० सिंहल, अध्यक्ष, केन्द्रीय शिक्षा

बोर्ड ने 4 मार्च, 1981 को संस्थान में सलाहकार का पद संभाल लिया। सर्वश्री एम० सी दुबे तथा डा० जी डी० शर्मा ने अध्येताओं के रूप में तथा डा० के० डी० शर्मा ने सह-अध्येता के रूप में तदर्थ आधार पर संस्थान में प्रवेश किया। निदेशक महोदय के निजी सचिव श्री के० एल० दुआ को तदर्थ आधार पर प्रशासन-अधिकारी के रूप में प्रोन्नत कर दिया गया।

1500-2000 रुपये वेतनमान वाले अध्येताओं के दो पद तथा 1100-1600 वेतनमान वाले सह-अध्येता का एक पद और अन्य आवश्यक स्टाफ के पदों को बनाकर संकाय को सुदृढ़ बनाया गया। 700–1300 रुपये वेतनमान वाले प्रशासन–अधिकारी के एक पद का निर्माण करके प्रशासन अनुभाग को भी सुदृढ़ बनाया गया। साथही प्रशासन एकक को दो उप-एककों, अर्थात् (1) शैक्षणिक प्रशासन एकक, तथा (2) सामान्य प्रशासन एकक के रूप में पुर्नगठित किया गया ताकि एकक का काम प्रभावी ढंग से चल सके। 31-3-1981 के अनुसार संकाय के सदस्यों की सूची परिशिष्ट में दी गई है। सम्बन्धित अवधि के दौरान स्टाफ में हुए परिवर्तनों की सूचना परिशिष्ट vi में दी गई है।

II

कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्थान के क्रियाकलापों में पर्याप्त वृद्धि हुई। अपने सीमित साधनों में रहते हुए संस्थान ने, केन्द्रीय तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, और एशिया तथा ओशीहनिया में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक के सहयोग से शैक्षिक योजना तथा प्रबन्ध के क्षेत्र में नई-नई संकल्पनाओं का प्रसार किया, अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया तथा अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए परामर्श सेवाओं की व्यवस्था की :

(अ) 1980-81 के दौरान चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

आलोच्य वर्ष के दौरान चलाए गए 34 कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1.	सामाजिक शिक्षा प्रबन्ध	7 कार्यक्रम
2.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा	6 कार्यक्रम
3.	उच्च शिक्षा प्रबन्ध	8 कार्यक्रम
4.	विशेष	6 कार्यक्रम
5.	अंतर्राष्ट्रीय	5 कार्यक्रम
6.	पत्राचार पाठ्यक्रम	2 कार्यक्रम

वर्ष के दौरान आयोजित किए गये कार्यक्रम नीचेदिए गये है :

1. स्कूल-शिक्षा प्रबन्ध

अवधि (दिनों में)	तारीख	कार्यक्रम	भाग लने वालों की संख्या
18	1-21 मई, 1980	वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सम्बन्धी अभिविन्यास कार्यक्रम	13

अवधि (दिनों में)	तारीख	कार्यक्रम	भाग लेने वालों की संख्या
9	19-28 मई, 1980	माध्यमिक स्कूलों के लिए प्रधानाचार्यों के लिए स्कूल प्रबन्ध पर संगोष्ठी	23
18	15 सितम्बर से 4 अक्तूबर, 1980	वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम	22
16	17 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 1980	वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम	10
12	8-20 दिसम्बर, 1980	उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	19
8	22-31 दिसम्बर, 1980	गोआ के स्कूलों तथा प्रशिक्षण कालेजों के प्रधानों के लिए स्कूल प्रबन्ध सम्बन्धी संगोष्ठी	28
6	27 जनवरी-1 फरवरी, 1971	हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण पर संगोष्ठी	22

2. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

6	12 अप्रेल, 1980	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास संगोष्ठी	27
6	9-14 जून, 1980	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	35
6	16-21 जून, 1980	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	38

अवधि (दिनों में)	तारीख	कार्यक्रम	भाग लेने वालों की सख्या
6	25-30 अगस्त, 1980	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	31
6	6-11 अक्तूबर, 1980	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	18
6	29 दिसम्बर, 1980 से 3 जनवरी, 1981	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	28
		3. उच्च शिक्षा प्रबन्ध	
10	7-16 अप्रैल 1980	तमिलनाडु के वरिष्ठ आचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सम्बन्धी अभिविन्यास कार्यक्रम	34
18	8-27 सितम्बर, 1980	महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सम्बन्धी अभिविन्यास कार्यक्रम	21
17	10-29 नवम्बर, 1980	महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सम्बन्धी अभिविन्यास कार्यक्रम	33
18	5-24 जनवरी, 1981	महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सम्बन्धी अभिविन्यास कार्यक्रम	29
2	2-3 फरवरी, 1981	यू० एस० ई० एफ० आई० की विश्वविद्यालय प्रशासक परियोजना, 1981 के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका जाने वाले महाविद्यालय-प्रधानाचार्यों के चुने हुए दल के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	8

अवधि (दिनों में)	तारीख	कार्यक्रम	भाग लेने वालों की संख्या
12	25 फरवरी से 6 मार्च 1981	आंध्र प्रदेश के महाविद्यालय के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम	35
12	5-17 मई, 1980	भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए वित्त अधिकारियों के लिए वित्त प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम	17
10	22 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 1980	कृषि विश्वविद्यालयों के नियंत्रकों के लिए वित्त-प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम	13

4. विशेष

12	21 अप्रेल-3 मई, 1980	जम्मू तथा कश्मीर के जिला तथा तहसील शैक्षिक योजना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	22
3	4-6 अगस्त, 1980	अध्यक्षों तथा सचिवों के लिए स्कूल शिक्षा के प्रबन्धकीय पक्षों पर संगोष्ठी	22
12	4-16 अगस्त, 1980	सांख्यिकी सहायकों के लिए शैक्षिक सांख्यिकी में दूसरा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	46
3	22-24 अगस्त, 1980	शिक्षा सचिवों तथा शिक्षा निदेशकों की संगोष्ठी	19
4	13-16 जनवरी, 1981	एन० एस० एस० के प्रधान कार्मिकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	23
3	22-24 जनवरी, 1981	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं पर संगोष्ठी	23

अवधि (दिनों में)	तारीख	कार्यक्रम	भाग लेने वालों की संख्या
		5. अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	
13	30 जून से 16 जुलाई, 1980	संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययन पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्या निदेशकों के लिए भारतीय इतिहास तथा संस्कृति पर कार्यशाला ।	15
8	4-16 सितम्बर, 1980	भूटान की यूनेस्कों अध्येता, कुमारी चन्द्रकला गुरुंग के लिए शिक्षा-प्रशासन पर अटेचमेन्ट कार्यक्रम	1
76	22 सितम्बर— 6 दिसम्बर, 1980	योजना, सांख्यिकी तथा प्रशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए अफगानिस्तान से आये यूनेस्को अध्येताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	6
8	15-22 नवम्बर, 1980	शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्र में हुए अनुभवों के विनिमय के लिए अंतःदेशीय कार्यशाला	17
13	24 नवम्बर— 6 दिसम्बर, 1980	यूनेस्कों द्वारा प्रायोजित श्री लंका के शिक्षा अधिकारियों का भारत का अध्ययन-दौरा	2
		6. पत्राचार पाठ्यक्रम	
6	26-31 मई, 1980	शैक्षिक योजना तथा प्रबन्ध में दूसरा पत्राचार पाठ्यक्रम–एक संपर्क कार्यक्रम	25
6	16-21 फरवरी, 1981	शैक्षिक योजना तथा प्रबन्ध में तीसरा पत्राचार पाठ्यक्रम–एक सम्पर्क कार्यक्रम	26

आलोच्य वर्ष के दौरान उक्त सभी कार्यक्रमों में शिक्षा सचिवों, शिक्षा निदेशकों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के निदेशकों, विश्वविद्यालयों के वित्त-अधिकारियों, कालेजों के आचार्यों तथा प्रधानाचार्यों, राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशकों,

जिला शिक्षा तथा तहसील शैक्षिक योजना अधिकारियों, राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमुख व्यक्तियों, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों, राज्य तथा केन्द्र सरकार के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् सहित 751 व्यक्तियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वालों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

— स्कूल शिक्षा कार्यक्रम	137 भाग लेने वाले
— राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	177 भाग लेने वाले
— उच्च शिक्षा कार्यक्रम	190 भाग लेने वाले
— विशेष कार्यक्रम	155 भाग लेने वाले
— अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	41 भाग लेने वाले
— पत्राचार पाठ्यक्रम	51 भाग लेने वाले
	751

उक्त कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक व्यक्तियों ने भाग लिया जिनकी संख्या 71 थी। इसके बाद तमिलनाडु से 65 तथा आंध्र प्रदेश से 59 व्यक्तियों ने भाग लिया। लक्ष द्वीप के अतिरिक्त, सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। विश्वविद्यालयों, स्वैच्छिक संगठनों, नेहरू युवक केन्द्रों से 119 व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया जो कुल भाग लेने वालों के 16 प्रतिशत के बराबर हैं। भाग लेने वालों में स्त्रियों की संख्या 72 थी जो कुल संख्या की 9.6 प्रतिशत है। अफगानिस्तान, भूटान इंडोनेशिया, फिलीपीन्स, श्री लंका तथा संयुक्त राज्य अमरीका से 26 व्यक्तियों ने, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों में भाग लिया। ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया हैं।

कार्यक्रम मूल्यांकन

हर कार्यक्रम में, उसके मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए गठित संचालन समिति संगामी मूल्यांकन करती रहती है। इसमें संकाय के सदस्य तथा भाग लेने वालों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। वे यह देखते हैं कि दिन-प्रतिदिन के अनुभव को देखते हुए उक्त कार्यक्रमों में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए।

कार्योत्तर मूल्यांकन के लिए, भाग लेने वालों को पहले ही दिन प्रोफार्मा बांट दिए जाते हैं ताकि वे शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय उनमें भर कर सत्र के अंतिम दिन से एक दिन पूर्व समन्वयक को लौटा दें। मूल्यांकन को सहज एवं स्वाभाविक बनाने

के कारण भाग लेने वालों से उस पर अपने हस्ताक्षर करने का आग्रह नहीं किया जाता। अंतिम दिन मूल्यांकन सत्र का आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता निदेशक महोदय करते हैं। इस सत्र में भाग लेने वाले सभी लोग, शैक्षिक तथा संगठनात्मक सभी मामलों पर निःसंकोच अपने विचार व्यक्त करते हैं।

भविष्य के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम तैयार करते समय संस्थान सहभागियों द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि को ध्यान में रखते हैं। परिणामतः इस वर्ष आयोजित किए गए अनेक पाठ्यक्रमों में पहले की उपेक्षा व्यवहारिक अभ्यास पर अधिक बल दिया गया। संस्थाओं के अध्यक्षों के लिए आयोजित किये जाने वाले अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए नीति-निर्माण, मानव सम्बन्धों आदि जैसे प्रशासनिक पक्षों पर विशेष रूप से केस-अध्ययन तैयार किए गए। इन कार्यक्रमों के एक अंग के रूप में उपयुक्त क्षेत्रीय दौरों की व्यवस्था भी की गई। हाल ही में रखते हुए विकासों को तथा सहभागियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों की विषय-वस्तु को समृद्ध बना दिया गया है।

सहभागियों के मूल्यांकन से व्यापक रूप से इस बात का पता चलता है कि उन्हें ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी प्रतीत हुए। शिक्षा सम्बन्धी वास्तविक स्थितियों में उक्त प्रशिक्षण का क्या प्रभाव पड़ा इस बात का मूल्यांकन करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

(आ) परामर्श सेवा

राज्य सरकारों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श सेवाएं प्रदान करना भी संस्थान के उद्देश्यों में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशिक्षण संस्थान, शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के कार्य में लगी संस्थाओं तथा कार्मिकों को भी शैक्षणिक एंव व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। शैक्षिक योजना तथा प्रशासन की गुणता में सुधार करने से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रोढ़ शिक्षा निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा एशिया तथा ओशिनिया में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक के साथ सक्रिय रूप से सहयोजित रहा है। इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप इस प्रकार थे :—

— शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के आग्रह पर, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों शैक्षिक योजना, संवीक्षण तथा सांख्यिकी की संगठनात्मक व्यवस्था एंव पद्धति के अध्ययन का कार्य छः चुने हुए राज्यों—बिहार, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब में शुरू किया गया।

— वरिष्ठ शिक्षा प्रशासकों के लिए विशेष कार्यक्रमों के बारे में आंध्रप्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा संघ शासित क्षेत्र, गोआ के राज्य शिक्षा विभागों को परामर्श सेवा प्रदान की गई।

— राज्य शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार के आग्रह पर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान ने, स्कूल-सुविधाओं के लिए नए मानकों का विकास करने सम्बन्धी अध्ययन शुरू कर दिया है ।

(ग) अनुसंधान तथा अधययन

(1) शैक्षिक प्रशासन का अखिल भारतीय सर्वेक्षण

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन, विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशासन के अखिल भारतीय सर्वेक्षण के कार्य में संलग्न रहा है ।

उद्देश्य

अपने किस्म के पहले इस सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य, विभिन्न स्तरों अर्थात् राष्ट्रीय राज्य तथा जिला स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन की वर्तमान स्थिति का पता लगाना तथा वह जानकारी और ज्ञान प्रदान करना है जिससे समूचे देश में शैक्षिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाया जा सके और उसका आधुनिकीकरण किया जा सके । सर्वेक्षण में शिक्षा के वर्तमान ढांचे तथा विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन से सम्बन्धित सरकारी तंत्र की क्रियापद्धति का विवरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त शिक्षा सम्बन्धी आंकड़ों का इस दृष्टि से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है ताकि योजना के निर्माण तथा उसके निष्पादन के बीच विद्यमान खाई को पाटा जा सके। मूलत: यह सर्वेक्षण प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के सचिवालय, निदेशालय, क्षेत्रीय मण्डलीय (जहां कहीं यह होता हो) जिला तथा ब्लाक स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था का एक अध्ययन है। साथ ही यह इन सबके क्रियाकलापों, योजना, संगठन, वित्तीयन, निर्देशन, पयवेक्षण, निरीक्षण तथा मूल्यांकन का भी अध्ययन है ।

राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग

सर्वेक्षण की योजना शुरू से ही राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के घनिष्ठ तथा सक्रिय सहयोग के साथ तैयार की गई थी । प्रश्नावली-प्रारूप को सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षत्रों में व्यापक रूप से परिचालित किया गया था और इन सबकी टिप्पणियों को ध्यान में रख कर ही इसे अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व सम्बन्धित सरकारों के पास पुनरीक्षण हैतु भेज दिया गया था ।

वर्ष 1980-81 के दौरान निम्नलिखित रिपोर्टें प्रकाशित की गई :—

— गुजरात

— मणिपुर

— राजस्थान '

इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन के सर्वेक्षण का काम सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में पूरा कर दिया गया ।

भारत सरकार पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करने तथा **सिक्किम में शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने** सम्बन्धी एक पृथक रिपोर्ट के अतिरिक्त निम्नलिखित रिपोर्टें भी प्रकाशित की गई :

राज्य	संघ शासित क्षेत्र
1. आंध्र प्रदेश	1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
2. असम	2. अरुणाचल प्रदेश
3. बिहार	3. चण्डीगढ़
4. गुजरात	4. दादर तथा नागर हवेली
5. हरियाणा	5. दिल्ली
6. हिमाचल प्रदेश	6. गोआ, दमन, दीव
7. जम्मू-कश्मीर	7. लक्ष्य द्वीप
8. कर्नाटक	8. मिजोरम
9. केरल	9. पाण्डीचेरी
10. मध्य प्रदेश	
11. महाराष्ट्र	
12. मणिपुर	
13. मेघालय	
14. नागालैंड	
15. उड़ीसा	
16. पंजाब	
17. राजस्थान	
18. तमिलनाडु	
19. त्रिपुरा	
20. उत्तर प्रदेश	
21. पश्चिम बंगाल	

(2) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों में सर्वव्यापीकरण के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन का अध्ययन

संस्थान ने शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नौ राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन से सम्बन्धित आनुभविक अध्ययन पूरा कर लिया है। देश के अनामांकित बच्चों में से लगभग 74 प्रतिशत बच्चे इन राज्यों में रहते हैं। आंध्र प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की रिपोर्टें प्रकाशित की जा चुकी हैं। असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल की अंतिम रिपोर्ट मुद्रणाधीन है।

इन रिपोर्टों के संमेकित निष्कर्षों पर आधारित प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए प्रशासन नमूना प्रारूप सहित, उक्त अध्ययनों की एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(3) हरियाणा के लिए शिक्षा के मानकों का विकास करने सम्बन्धी अध्ययन

हरियाणा सरकार के आग्रह पर संस्थान ने वर्ष 1979 में, स्कूल खोले जाने तथा उनकी कोटि का उन्नयन किए जाने के लिए अपेक्षित स्कूल स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने तथा उन्हें बनाए रखने के बारे में मानकों का विकास करने सम्बन्धी अध्ययन का कार्य हाथ में लिया था। संस्थान से यह आग्रह भी किया गया था कि वह शिक्षण तथा शिक्षणोतर स्टाफ की व्यवस्था, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, उपस्करों तथा फर्नीचर की व्यवस्था, स्कूल-भवन तथा शिक्षा स्टाफ की नियुक्तियों और स्थानांतरण आदि के बारे में भी मानक तैयार करें।

उक्त अध्यापन निम्न प्रावस्थाओं में किया गया :

(i) नमूना-सर्वेक्षण करना

(क) क्षेत्र की वर्तमान स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए, तथा

(ख) वर्तमान मानकों के बारे में क्षेत्र-पर्यवेक्षण स्टाफ के विचार जानने के लिए।

(ii) चुने गए राज्यों में प्रचलित मानकों के तुलनात्मक विवरण तैयार करना तथा उनका विश्लेषण करना;

(iii) राज्य में प्रचलित वर्तमान मानकों तथा मत सर्वेक्षण एवं तुलनात्मक विवरण के माध्यम से ज्ञात की गई क्षेत्र-स्थिति के बीच अन्तर को ध्यान में रखते हुए मानकों के विभिन्न पक्षों पर लेख तैयार करना;

(iv) राज्य सरकार की सिफारिशों को अंतिम रूप देने की दृष्टि से विभिन्न कार्यपत्रों पर चर्चा करने हेतु कार्यकारी दलों की बैठकें आयोजित करना;

(v) रिपोर्ट को अंतिम रूप देना ।

अध्ययन पूरा होने के अंतिम चरण में है ।

(4) राज्यों। संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षिक योजना, समीक्षा तथा सांख्यिकी की संगठनात्मक व्यवस्था तथा पद्धति का अध्ययन

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के आग्रह पर, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान ने देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की शैक्षिक योजना, सांख्यिकी तथा संवीक्षा की व्यवस्था के अध्ययन का कार्य, निम्न तीन प्रमुख उद्देश्यों से अपने हाथ में लिया है :

(i) निम्न प्रयोजनों से वर्तमान संगठनात्मक व्यवस्था का अध्ययन करना :

-- शैक्षिक योजना;

— शैक्षिक आंकड़ों का एकत्रण, संकलन एवं प्रसार, तथा

-- संवीक्षा तथा मूल्यांकन

(ii) योजना, सांख्यिकी, संवीक्षा तथा मूल्यांकन के प्रभावी तंत्र के लिए अपेक्षित व्यवस्था के बारे में सुझाव देना;

(iii) योजना, सांख्यिकी, संवीक्षा, मूल्यांकन के तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना (ये बातें पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली योजना का आधार हो सकती हैं) ।

उक्त अध्ययन के लिए अपेक्षित सूचना एकत्र करने के प्रयोजन से एक प्रश्नावली तयार की गई है जिसे सभी राज्य शिक्षा सचिवों/शिक्षा निदेशकों को भेज दिया गया है । अध्ययन संबंधी अपेक्षित सूचना प्राप्त भी हो गई है । काम शुरू करने की दृष्टि से शिक्षा मत्रालय तथा योजना आयोग के सदस्यों ने छः राज्यों का दौरा किया है । बिहार, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब तथा महाराष्ट्र के रिपोर्ट-प्रारूप सचालन-समिति के विचारार्थ तैयार हैं ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

शैक्षिक योजना तथा प्रबन्ध से सम्बन्धित कार्यक्रमों में संस्थान, यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय, बैंकाक, आई० बी० ई० तथा यू० एस० ई० एफ० आई के साथ सहयोग कर रहा है । संस्थान ने एशियाई शैक्षिक नवीन प्रक्रिया तथा विकास कार्यक्रम (ए० पी० ई० आई० डी०), बैंकाक तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यालय के राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु (आई० बी० ई०) जिनेवा के साथ अपनी सह-सदस्यता (एसोशिएट मेंम्बरशिप) को जारी रखा है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा प्रशिक्षण संलग्नक कार्यक्रमों तथा कार्यशाला का आयोजन किया जाना एक महत्वपूर्ण कार्य था । राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा

प्रशासन संस्थान ने 2 श्रीलंका तथा 1 भूटान और अफगानिस्तान के 6 अध्येताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। अमरीका के सामाजिक अध्ययन पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्या निदेशकों के लिए भारतीय इतिहास तथा संस्कृति पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्र मे आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक अंतःदेशीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें इंडोनेशिया तथा फिलीपीन्स से आए लोगों ने भी भाग लिया।

(ङ) अभ्यागत

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनेक गणमान्य अभ्यागत संस्थान में आये और उनमें से कुछ ने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान के संकाय के साथ विचार-विमर्श किया।

— श्री राधारैना सिंह के नेतृत्व में नेपाल से आए साक्षरता-विशेषज्ञों के एक दल ने, जिसमें श्री मदन बहादुर श्रेष्ठ, सुश्री पुरारदेवी बुधयोक, सुधवधा कमल सिंह तथा श्री धीरेन्द्र सिंह थापा सम्मिलित थे, 26 जून, 1980 को संस्थान का दौरा किया और संकाय के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम के नीति तथा क्रियान्वयन संबंधी पक्षों पर विचार-विमर्श किया।

— श्री कनेथ लूका के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित यू० एन० डी० पी० (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) मिशन के एक शिष्ट मण्डल ने 28 जुलाई, 1980 को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान का दौरा किया। सुश्री एल० मिलर तथा डा० हूं का गुरूंग शिष्ट मडल के सदस्य थे। शिष्ट-मण्डल ने सस्थान के निदेशक तथा संकाय, दोनों के साथ विचार-विमर्श किया।

— श्री अब्दुल वद्द वफामल, यूनेस्को अध्येता तथा अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, अफगानिस्तान ने 9 अक्तूबर, 1980 को संकाय के साथ शैक्षिक योजना तथा प्रशासन की समस्याओं के बारे मे विचार-विमर्श किया।

— प्रोफेसर सी० एम० एरियावन्सा, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार तथा प्रशासक स्टाफ कालेज, श्री लंका ने 4 दिसम्बर, 1980 को प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाए जाने की संभावनाओं तथा तत्संबधी समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।

— बंगलादेश से आए जनसाक्षरता कृतिक बल कार्मिकों के 5–सदस्यों के एक दल श्री महमूद अमीन-उल-इस्लाम, संयुक्त सचिव (विकास), शिक्षा, श्री मुहम्मद सली मुल्लाह, श्री सैयद एम० रहमान, श्री मुहम्मद उस्मान घानी, श्री मुंहम्मद

अबुल कासिम ने संस्थान का दौरा किया तथा 23 दिसंबर, 1980 को संकाय के सदस्यों के साथ सामान्य समस्याओं पर विचार-विमर्श किया।

— कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र तथा औद्योगिक संबंध के प्रतिष्ठित आचार्य, प्रोफेसर क्लार्क केर ने 31 जनवरी, 1981 को शिक्षा में नीति तथा योजना पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित किया।

— डा० एल० ई० वाटसन, अध्यक्ष, शिक्षा प्रबंध विभाग, शैफील्ड पालीटैकनीक, शफील्ड ने संस्थान में भारतीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संघ के तत्वावधान में 11 जनवरी 1981 को 'संस्थानिक मूल्यांकन के कुछ उपागम' नामक विषय पर एक भाषण दिया।

— ओपन विश्वविद्यालय, यू० के० के० वरिष्ठ प्राध्यायक तथा परियोजना निदेशक श्री कालिन मोर्गन ने यू० के० ओपन विश्वविद्यालय तथा अन्य विकासशील देशों के अनुभव के विषय में 11 फरवरी, 1981 को एक भाषण दिया।

— प्रोफेसर जे० बटरवर्थ, निदेशक, प्रबंध अध्ययन विभाग, लीड्स विश्वविद्यालय, यू० के० ने 19 फरवरी, 1981 को 'शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं' पर संकाय के सदस्यों के साथ विचार विनिमय किया।

— डा० कल्दे तिबी, एच० ई० पी०, पेरिस ने 23 फरवरी, 1981 को संकाय के कुछ चुने हुए सदस्यों के साथ भारत में स्तरों तथा प्रदेशों के आधार पर शिक्षा की इकाई लागत के अभिकलन से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया।

— संस्थान ने नेपाल सरकार के शिक्षा सचिव श्री टी० बी० परसाई के नेतृत्व में भारत आए 5 सदस्यीय एक शिष्टमण्डल का 5 मार्च, 1981 को संस्थान में स्वागत किया। इस शिष्टमण्डल ने संकाय के सदस्यों के साथ सामान्य समस्याओं पर विचार विमर्श किया तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान में शैक्षिक प्रशासकों को प्रशिक्षित किए जाने की दिशा में सहयोग करने की संभावनाओं का पता लगाया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न गणमान्य महानुभावों ने भी संस्थान का दौरा किया :

— डा० एच० टी० बी० हैरिस, कार्यपालक निदेशक, कामनवैल्थ शैक्षिक प्रशासन परिषद्, न्यू इंगलैंड विश्वविद्यालय अर्नेडाले, आस्ट्रेलिया।

— डा० ए० आर० थाम्पसन, अध्यक्ष विकास समिति, सेंटर फार ओवरसीज़ स्टडीज़, स्कूल आफ एजुकेशन, ब्रिस्ट विश्वविद्यालय यू के०।

— मिस मालिका रत्ने, एशिया तथा पैसिफिक विकास प्रशिक्षण तथा संचार योजना कार्यक्रम, यू० एन० डी० पी०, बैंकाक ।

— डा० हन्स रैफ, शैक्षिक योजना प्रबन्ध सलाहकार, एशिया तथा ओशिनिया यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय, बैंकाक ।

— श्री कुरोदा, शैक्षिक सांख्यिकी सह–विशेषज्ञ आर० ओ० ई० ए० ओ०, बैंकाक ।

— डा० एम० डी० शामी, सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पाकिस्तान सरकार, इस्लामाबाद ।

— डा० एम० एस० स्वामीनाथन, सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्ली ।

— डा० प्रेम कृपाल, भूतपूर्व शिक्षा सचिव तथा अध्यक्ष, यूनेस्को कार्यपालक बोर्ड, नई दिल्ली ।

— श्री पी० सुब्बानायगम, शिक्षा सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली ।

— डा० हन्स मीनेल, महासचिव, जर्मन राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग ।

— प्रोफेसर सतीश चन्द्र, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।

— मिस फैलिसियानस सैन्तियागो, फिलीपीन्स की विशेषज्ञ ।

— प्रो० मूनिस रज़ा, अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।

— डा० जान बैनिग्रान, प्रमुख वस्तुक, एशिया तथा ओशिनिया यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय, बैंकाक ।

— डा० जॉन टौन, सह-आचार्य, संगठनात्मक मनोविज्ञान, मैसाचूसेट्स विश्व-विद्यालय, बोस्टन, संयुक्त राज्य अमरीका ।

— श्री एस० बी० चव्हाण, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

— श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

(च) पुस्तकालय तथा प्रलेखन सेवा

संस्थान के पास शैक्षिक योजना तथा प्रशासन तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित पुस्तकों का एक विशाल पुस्तकालय है। इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक योजना तथा प्रबन्ध संबंधी साहित्य के मामले में यह पुस्तकालय, एशियाई क्षेत्र का समृद्धतम पुस्तकालय है। यह केवल संकाय, अनुसंधानकर्ताओं तथा विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की ही सेवा नहीं करता बल्कि अन्त: पुस्तकालय परिदाय पद्धति के माध्यम से अन्य संगठनों की भी सेवा करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1300 नए प्रलेखों तथा 1751 पुस्तकों से पुस्तकालय की वृद्धि की गई। इस समय पुस्तकालय के पास 27,146 से अधिक पुस्तकें हैं। पुस्तकालय के पास संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, ओ०ई०सी०डी०, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनीसेफ आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा सम्मेलनों की रिपोर्टें भी बड़ी संख्या में उपलब्ध है।

पुस्तकालय में प्रति वर्ष 240 पत्र-पत्रिकाएं आती हैं जो मुख्यत: शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रबंध तथा अन्य संबद्ध विषयों की होती हैं। इन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित सभी लेखों की प्रविष्टि अनुक्रमणिका में की जाती है। पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त पुस्तकालय में समाचारपत्रों से शैक्षिक योजना तथा प्रबन्ध सम्बन्धी लेखों की कतरने भी एकत्र की जाती हैं।

पाठकों को महत्वपूर्ण रोचक लेखों तथा अन्य नई सामग्री से परिचित कराने के लिए, इन सबकी मासिक सूचियां तैयार की गई। संबंधित अवधि के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के लिए 30 ग्रन्थ सूचियां (जिनमें चार सटिप्पण ग्रन्थ सूचियां थीं) तैयार की गई।

पाठकों को हर पखवाड़े में प्राप्त हुई शिक्षा संबंधी पत्र-पत्रिकाओं की विषयवस्तु से अवगत कराने के लिए संस्थान ने अपनी पाक्षिक पत्रिका, 'पीरियाडिकल्स आन एजूकेशन : टाइटिल्स रिसीव्ड एण्ड देअर कन्टैन्टस' का अनुलिखित प्रकाशन जारी रखा है।

(छ) प्रकाशन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित का प्रकाशन किया गया :

1. **निम्न राज्यों में शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण**

   — गुजरात

   — मणिपुर

   — राजस्थान

2. वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी तथा अंग्रेजी), 1979–80

3. **निम्न राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा प्रशासन**

— आंध्र प्रदेश

— जम्मू तथा कश्मीर

— मध्य प्रदेश

— उत्तर प्रदेश

4. **अन्तर्राष्ट्रीय परस्परबोध के लिए शिक्षा : भारतीय अनुभव**

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित परियोजना की रिपोर्ट

5. **भारत में जनांकिकीय तथा शैक्षिक सांख्यिकी :**

यूनेस्को सांख्यिकी कार्यालय, पेरिस तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, 'भारत में स्कूल-नामांकन को दर्शनवाली विधियों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी' में प्रस्तुत किए गए पृष्ठभूमि संबंधी पत्र : संपादक सी० एल० सपरा

6. ई० पी० ए० (शैक्षिक योजना तथा प्रशासन) बुलेटिन—त्रैमासिक खंड III–1,2,3 अप्रेल जुलाई, अक्तूबर, 1980–खंड III सं 4 तथा खंड IV सं०–1–जनवरी तथा अप्रैल, 1981

7. **जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक योजना पुस्तिका** (अनुलिखित)

8. **भारत में शैक्षिक विकास के चुने हुए सांख्यिकीय सूचकांक,** 1980 (अनुलिखित)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने अपने प्रत्येक अभिविन्यास कार्यक्रम, संगोष्ठी तथा कार्यशाला की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रकाशित की। समीक्षाधीन अवधि में निम्नलिखित रिपोर्टें प्रकाशित की गई :

1. नये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शिक्षा के योगदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट (22-27 जनवरी, 1980)।

2. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट 1-21 मई, 1980)।

3. माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए स्कूल प्रबन्ध संबंधी संगोष्ठी की रिपोर्ट (19-28 मई, 1980)।

4. वरिष्ट स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (15 सितम्बर–4 अक्तूबर, 1980) ।

5. वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (17 नवम्बर–6 दिसम्बर 1980) ।

6. उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (8–20 दिसम्बर, 1980) ।

7. हरयाणा के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण संबंधी संगोष्ठी की रिपोर्ट (27 जनवरी—1 फरवरी, 1981) ।

8. तमिलनाडु के कालेजों के वरिष्ठ आचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (7–16 अप्रैल, 1980) ।

9. कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजता तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (8-27 सितम्बर, 1980) ।

10. कालेज के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (10-29 नवम्बर, 1980) ।

11. महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (जनवरी 5-24, 1981)

12. यू० एस० ई० एफ० आई० की विश्वविद्यालय प्रशासन परियोजना, 1981 के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका जाने वाले प्रधानाचार्यों के चूने हुए समूह के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (फरवरी 2-3, 1981) ।

13. आंध्र प्रदेश के कालेज के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (25 फरवरी-6 मार्च 1981)

14. भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रबन्ध संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट (5–17 मई, 1980) ।

15. कृषि विश्वविद्यालयों के नियंत्रकों के लिए वित्तीय प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण कार्यकम की रिपोर्ट (22 अक्तूबर-1 नवम्बर 1980) ।

16. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास संगोष्ठी की रिपोर्ट (7-12 अप्रैल, 1980) ।

17. जिला तथा प्रोढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास संगोष्ठी की रिपोर्ट (9-14 जून, 1980) ।

18. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास संगोष्ठी की रिपोर्ट (16-21 जून, 1980)।

19. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास संगोष्ठी की रिपोर्ट (25-30 अगस्त, 1980)।

20. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास संगोष्ठी की रिपोर्ट (6-11 अक्तूबर, 1980)।

21. जिला प्रौढ़ शिशा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास संगोष्ठी की रिपोर्ट (29 दिसम्बर, 1980 से 3 जनवरी, 1981)।

22. जम्मू तथा कश्मीर के जिला व तहसील शिक्षा योजना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संगोष्ठी की रिपोर्ट (21 अप्रैल-3 मई, 1980)।

23. भारत में स्कूल शिक्षा बोर्डों के प्रबंधकीय पक्षों पर अध्यक्षों तथा सचिवों के लिए संगोष्ठी की रिपोर्ट (4-6 अगस्त, 1980)।

24. सांख्यिकी सहायकों के लिए दूसरे सेवाकालीन शैक्षिक सांख्यिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की रिपोर्ट (4-16 अगस्त, 1980)।

25. शिक्षा सचिवों तथा शिक्षा निदेशकों की संगोष्ठी की रिपोर्ट (22-24 अगस्त, 1980)।

26. एन० एस० एस० के प्रधान कार्मिकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम की रिपोर्ट (13-16 जनवरी, 1981)।

27. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं पर संगोष्ठी की रिपोर्ट (22-24 जनवरी, 1981)।

28. संयुक्त राज्य अमरीका से आए अमरीकी सामाजिक अध्ययन पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्या निदेशकों के लिए भारतीय इतिहास तथा संस्कृति पर आयोजित कार्यशाला की रिपोर्ट (30 जून-16 जुलाई 1980)।

29. भूटान की यूनेस्को अध्येता सुश्री चन्द्रकला गुरूंय के शैक्षिक प्रशासन संबंधी संलग्नक कार्यक्रम (अटैचमेन्ट प्रोग्राम) की रिपोर्ट (4-16 सितम्बर, 1980)।

30. शैक्षिक योजना, सांख्यिकी तथा प्रशासन में प्रशिक्षण लेने हेतु अफगानिस्तान से आए यूनेस्को अध्येता के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट (22 सितम्बर–6 दिसम्बर 1980)।

31. शैक्षिक योजना तथा प्रबंध में दूसरा पाठ्यक्रम—एक संपर्क कार्यक्रम की रिपोर्ट (26-31 मई, 1980)।

32. शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में तीसरा पाठ्क्रम—एक सम्पर्क कार्यक्रम की रिपोर्ट (16-21 फरवरी, 1981)।

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विहित पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त शैक्षिक योजना तथा प्रबन्ध के तीसरे पाठ्यक्रम में निम्नलिखित छः पुस्तकें भी थीं :

पुस्तक	I	:	पृष्ठभूमि तथा आधारभूत संकल्पनाएं
पुस्तक	II	:	शैक्षिक प्रबंध: एक परिचय
पुस्तक	III	:	योजना
पुस्तक	IV	:	क्रियान्वयन
पुस्तक	V	:	समकालीन मुद्दे।
पुस्तक	VI	:	चुनौतियां तथा अनुक्रियाएं

दूसरे तथा तीसरे पत्राचार पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले सहभागियों द्वारा तैयार किए गए उपसत्रीय पत्र' तथा पुस्तक-समीक्षाओं का संकलन भी किया गया।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC No. D-9361
Date 12.96

भाग II का अनुबन्ध :
कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की समीक्षा

वरिष्ट स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम

(1-21, मई 1980, 15 सितम्बर–4 अक्तूबर, 1980, 17 नवम्बर–6 दिसम्बर, 1980)

प्रशिक्षित तथा सक्षम वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान ने तीन-3 की अवधि के निम्नलिखित नियमित आवासिक कार्यक्रमों का आयोजन किया :

पहला कार्यक्रम : 1-21 मई, 1980

दूसरा कार्यक्रम : 15 सितम्बर—4 अक्तूबर, 1980

तीसरा कार्यक्रम : 17 नवम्बर—6 दिसम्बर, 1980

उद्देश्य

शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में आयोजित किए गए अनेक सफल प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं की प्रतिपुष्टि के आधार पर निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए :

— सहभागियों को शैक्षिक योजना, प्रशासन तथा पर्यवेक्षण की कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं तथा समस्याओं से अवगत कराना;

— उन्हें गुणात्मक सुधार की नवीन शैक्षिक प्रवृत्तियों तथा कार्यकमों से परिचित कराना;

— उन्हें शैक्षिक प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के रूप में अपनी व्यावसायिक क्षमता तथा प्रभावकारिता विकसित करने का अवसर प्रदान करना।

विषयवस्तु

व्यापक रूप से इन कार्यक्रमों की विषय-वस्तु को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

I. सामान्य समीक्षा : स्वातंत्र्योत्तर शैक्षिक विकास, भारत में शैक्षिक योजना, समस्याएं तथा संभावनाएं, भारत में शैक्षिक प्रशासन—संरचना तथा कार्य ।

II. स्कूल-शिक्षा की समस्यायें : प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण; लड़कियों की शिक्षा-अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के बच्चों की शिक्षा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण शैक्षिक प्रशासन का विकेन्द्रण, समन्वय, अन्त: तथा अंतर-विभागीय शिक्षा में गुणता, अपव्यय तथा गतिरोध, शैक्षिक प्रौद्योगिकी ।

III. शैक्षिक योजना की संकल्पनाएं तथा तकनीक : शैक्षिक योजना की आधारभूत संकल्पनाएं तथा उपागम, शैक्षिक योजना के लिए अपेक्षित आंकड़े, सूक्ष्म योजना बनाना, (माइक्रोप्लानिंग) जिला/खंड/संस्थानिक स्तर, स्कूल मानचित्रण, स्कूल नामांकन दर्शाने की विधियां, अध्यापकों की अन्य अपेक्षाएं, भवन, उपस्कर आदि ।

IV. शैक्षिक प्रबन्ध की संकल्पनाएं तथा तकनीक : संगठन सिद्धांत, संसाधन प्रबन्ध (जन, धन तथा सामग्री), संसाधन जुटाना, संसाधन आबंटन तथा संसाधन उपयोग, शिक्षा प्रबन्धक के कार्य, नेतृत्व, नीति-निर्णय करना, अभिप्रेरण तथा मनोबल, संचार तथा मानव संबंध, शैक्षिक प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण प्रबंध-तकनीकों का अनुप्रयोग—पी० ई० आर० टी/सी० पी० एम०, शैक्षिक नवीन प्रक्रियाओं का प्रबन्धन स्कूल काम्प्लेक्स, शैक्षिक कार्मिकों का सेवाकालीन संवीक्षा तथा मूल्यांकन, शैक्षिक योजना तथा प्रशासन की समस्याओं का समाधान करने में शिक्षक-संगठनों की भूमिका, शैक्षिक प्रशासन, संस्थानिक स्तर तथा पद्धति स्तर पर सुधार की संभावनाएं ।

कार्यविधि

मूल रूप में इन कार्यक्रमों की योजना बराबर वालों की संगोष्ठी के रूप में तैयार की हुई थी । ये कार्यक्रम मुख्यत: चुने हुए विषयों पर आयोजित की गई व्याख्यान परिचर्चाओं पर आधारित थे । इन परिचर्चाओं में भाग लेने वालों को अनुभवी शिक्षा-विदों, संकाय के सदस्यों, ज्ञान साधन व्यक्तियों के रूप में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए विशेषज्ञों के संपर्क में आने तथा उनके ज्ञान से लाभान्वित होने का अवसर मिला । सहभागियों को व्यावहारिक कार्य, पुस्तकालय अध्ययन तथा क्षेत्रीय दौरों की सुविधा प्रदान की गई । इन क्षेत्रीय दौरों में, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान परिषद्, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, योजना आयोग, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय आदि के दौरे भी सम्मिलित हैं । निम्नलिखित विषयों में व्यावहारिक अभ्यास तथा समूह कार्य के अवसर भी प्रदान किए गए :

— जिला शिक्षा योजनाओं का निर्माण ।

— कुछ राज्यों के वर्तमान निरीक्षण प्रोफार्मों की समीक्षा करना तथा एक नया निरीक्षण प्रोफार्मा तैयार करना, और

— स्कूलों के श्रेणीकरण के मानक का विकास करना ।

प्रत्येक कार्यक्रम के समापन वाले दिन, संबंधित कार्यक्रम के मूल्यांकन का दिन रखा गया । यह मूल्यांकन स्वयं सहभागियों द्वारा किया गया तथा इससे भावी कार्यक्रमों के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध हो गई ।

प्रलेख

कार्यक्रम के विषयानुकूल दी गई पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त सहभागियों को कुछ चुने हुए पाठ, विभिन्न राज्यों के निरीक्षण प्रोफार्मा तथा शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संबंधी चुने हुए ग्रन्थों की एक सूची भी दी गई ।

सहभागी

सहभागियों का नामन राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किया गया था । एक राज्य से दो से अधिक सहभागियों का चयन किया गया । महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के व्यक्तियों तथा हाल ही में प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई । कुल मिलाकर 13 राज्यों तथा 5 संघ शासित क्षेत्रों से 45 सहभागियों ने संस्थान के कायक्रमों में भाग लिया जिनमें 6 महिलाएं थीं । विस्तृत नीचे दिया गया है :

राज्य	पहला कार्यक्रम	दूसरा कार्यक्रम	तीसरा कार्यक्रम	कुल
आंध्र प्रदेश	—	02	03	05
बिहार	—	02	02	04
गुजरात	02	01	—	03
हिमाचल प्रदेश	01	01	01	03
जम्मू तथा कश्मीर	01	—	—	01
कर्नाटक	—	01	—	01
मध्य प्रदेश	—	01	02	03
महाराष्ट्र	—	02	01	03
नागालैंड	—	—	01	01

1	2	3	4	5
राजस्थान	—	02	—	02
त्रिपुरा	02	—	—	02
उत्तर प्रदेश	01	01	—	02
पश्चिम बंगाल	—	01	—	01
जोड	07	14	10	31
संघशासित क्षेत्र				
अंडमान निकोबार द्वीप समह	01	—	—	01
अरुणाचल प्रदेश	—	02	—	02
दिल्ली	02	04	—	06
मिजोराम	02	01	—	03
पांडीचेरी	01	01	—	02
जोड़	06	08	—	14
कुल योग	13(2)	22(3)	10(1)	45

विशेष : ( ) में दिए गए अंक महिला सहभागियों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं ।

क्षेत्रीय वीक्षण

उक्त सभी कार्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए सहभागियों ने निम्न प्रयोजन से चण्डीगढ़/दिल्ली/जयपुर का दौरा किया :

— अपने द्वारा विकसित किए गए पर्यवेक्षण-प्रोफार्मा की परीक्षा करने के लिए;

— स्कूल क्षेणीकरण जांच सूची की परीक्षा करने के लिए; तथा

— हरियाणा/दिल्ली प्रशासन/राजस्थान के शिक्षा विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था तथा उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए।

निजी समय कार्य (ओ० टी० डब्ल्यू) के अतिरिक्त सहभागियों को प्रारंभिक शिक्षा को विश्वव्यापी बनाने के लक्ष्य-साधन की दृष्टि से विकेंद्रित करने तथा प्रशासन को सुचारू बनाने संबंधी कार्य भी सौंपा गया। प्रत्येक सहभागी ने शिक्षा योजना तथा प्रबन्ध से संबंधित किसी एक अद्यतन प्रकाशन की समीक्षा भी की।

मुख्य सिफारिशें

स्कूल प्रशासन का क्षेत्रीय समस्याओं का गहन अध्ययन करने के पश्चात् सहभागियों ने राज्य सरकार के विचारार्थ कुछ उपायों का सुझाव दिया। उनकी कुछ प्रमुख सिफारशें इस प्रकार हैं :

1. शैक्षिक योजना की वर्तमान पद्धति, जो कि अत्यधिक सकेंद्रित है, का इस रूप में आशोधन किया जाना चाहिए कि योजनाएं केवल राज्य या केन्द्रीय सरकार के स्तर पर न बनाई जाएं बल्कि जिला तथा ब्लाक स्तर पर भी योजनाएं तैयार की जाएं। इसके अतिरिक्त सभी शैक्षिक संस्थाएं भी विकास संबंधी अपनों योजनाएं तैयार कर सकती हैं, जिनमें गुणात्मक सुधार पर बल दिया जाना चाहिए।

2. शिक्षा के हित की दृष्टि से यह अपेक्षित है कि आई० ए० एस० अधिकारियों को लोक शिक्षा निदेशकों के रूप में नियुक्त करने की वर्तमान पद्धति को समाप्त किया जाए। प्रत्येक राज्य का लोक शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग का कोई शिक्षाविद् होना चाहिए। सचिवालय-स्तर पर भी कुछ अधिकारियों की नियुक्ति शिक्षाविदों में से की जानी चाहिए।

3. जिला शिक्षा अधिकारियों का दर्जा प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। किन्हीं राज्यों में जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता है और कहीं दूसरी श्रणी का। यह बात विचारणीय है कि सभी राज्यों के जिला शिक्षा अधिकारियों के वेतनमान तथा उनका दर्जा व्यापक रूप से समतुल्य होना चाहिए।

4. क्षेत्रीय, जिला तथा खण्ड स्तर पर शिक्षा अधिकारियों के रूप में काम कर रहे व्यक्तियों को पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। विशेष रूप से जिला शिक्षा अधिकारियों को यह अधिकार दिये जाने चाहिए कि वे शिक्षकों को सुविधानुसार एक स्कूल से दूसरे स्कूल में पुनः परिनियोजित कर सकें, जिले के अंदर खाली पड़े स्थानों पर शिक्षकों की नियुक्ति कर सकें तथा स्वीकृत आबंटनों में से राशियों का एक लेखाशीर्ष से दूसरे लेखाशीर्ष में पुनर्विनियोजन कर सकें।

5. सहभागी राज्यों में से कुछ में शिक्षा के काम की देखभाल केवल शिक्षा बिभाग के ही हाथ में नहीं बल्कि जनजातीय कल्याण बिभाग तथा हरिजन कल्याण बिभाग जैसे कुछ अन्य विभागों का भी उसमें दखल है। इन विभागों में परस्पर समन्वय का अभाव है। प्रभावी योजना तथ नियंत्रण के लिए यह अनिवार्य है कि या तो सभी बच्चों की शिक्षा को एक हीं छत के नीचे, अर्थात् पूर्णतः शिक्षा विभाग के अधीन रखा जाए या फिर ऐसी उपयुक्त कार्यविधि अपनाई जाए जिससे बिभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

6. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. आजकल शिक्षकों का काफी समय दोपहर के खाने के कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में लग जाता है और परिणामतः इससे शिक्षण कार्य को हानि पहुंचती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए डिब्बा बंद खाने का वितरण किया जा सकता है और इस कार्य के लिए अंशकालिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी चाहिए। दोपहर के खाने में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि इसकी पोषकता में वृद्धि की जा सके।

8. प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की गति को त्वरण प्रदान करने के लिए समाज के वंचित वर्गों के बच्चों को दी गई विभिन्न प्रकार की प्रेरणाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रभाव अध्ययन किए जाने चाहिए।

9. जहां कहीं स्कूल-समितियां हो, उन्हें सक्रिय बनाया जाए और जहां ऐसी समितियां न हीं वहां उनका गठन किया जाए ताकि प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों तथा छात्रों की नियमित उपस्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके।

10. +2 की अवस्था पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। ये पाठ्यक्रम बहुत सावधानीपूर्वक बनाए जाने चाहिए। इन्हें बनाने से पूर्व जिला स्तर पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और पाठ्यचर्या तैयार करने के मामले में कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग आदि अन्य विभागों और स्थानीय उद्योगपतियों एवं संभाव्य नियोजकों का भी सहयोग लेना चाहिए। जिन स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने हों, उनका चयन कुछ निश्चित कसौटियों के आधार पर बहुत सावधानीपूर्वक

किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पड़ोस के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा पालीटेक्नीकों का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए।

11. जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग करने तथा नवीन प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों द्वारा अपनाई गई नवीन प्रक्रियाओं की जानकारी एकत्र करके, उन्हें व्यापक प्रसार हेतु समाचार-बुलेटिन के रूप में प्रकाशित कर सकते हैं।

12. स्कूलों की संख्या के आधार पर निरीक्षण अधिकारियों के कार्यभार का मूल्यांकन करने की वर्तमान पद्धति का परित्याग किया जाना चाहिए। इसके बजाय कार्यभार का मूल्यांकन स्कूल विशेष के इकाई-मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए जिसकी संगणना छात्रों के नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या के अनुसार की जानी चाहिए। इस आधारभूत तथ्यों के अतिरिक्त स्कूल के इकाई-मूल्य की संगणना करते समय अन्य महत्वपूर्ण चरों, यथा-स्कूल के प्रकार (एक शिक्षक अथवा बहु-शिक्षक प्रारंभिक स्कूल), दुर्गम स्थान आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए।

13. प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी, अपने क्षेत्राधिकार में काम करने वाले शिक्षकों के लिए आवश्यकता-मूलक सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए योजना बना सकता है।

14. जिन राज्यों में अभी तक शैक्षिक अनुसंधान तथ प्रशिक्षण परिषद संगठित नहीं हुई हैं, वहाँ इनकी स्थापना की जानी चाहिए।

15. शैक्षिक प्रशासन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक संगठनों का सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्न किए जाने चाहिए।

16. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान समय-समय पर राज्य सरकारों। संघशासित प्रशासनों को मानक ग्रंथों तथा प्रकाशनों की सटीक ग्रंथसूचियां उपलब्ध करा सकता है ताकि वे अपने पुस्तकालयों के लिए इस क्षेत्र से संबंधित उपयुक्त पुस्तकें खरीद सकें।

17. स्कूल शिक्षा में सामान्य रूप से तथा शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में विशेष रूप से परियोजनायों का नवप्रर्वतन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान विभिन्न राज्यों। संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा अधिकारियों द्वारा देश के विभिन्न भागों के दौरों की व्यवस्था कर सकता है।

माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए स्कूल-प्रबंध संबंधी संगोष्ठी

(19-28 मई, 1980)

राष्ट्रीय संस्थान ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से, माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए 19-28 मई, 1980 की अवधि के दौरान स्कूल-प्रबंध संबंधी दूसरी संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में 23 प्रधानाचार्यों/उप-प्रधानाचार्यों ने भाग लिया।

उद्देश्य

संगोष्ठी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे :

— शैक्षिक प्रबन्ध संबंधी प्रमुख संकल्पनाओं की बेहतर जानकारी प्राप्त करना,

— प्रभावी संस्थानिक नेता के रूप में स्कूल के प्रधानाचार्य से अपेक्षिक उपयुक्त भूमिकाओं, कौशलों तथा ज्ञान की संकल्पना का स्वरूप सुनिश्चित करना, तथा

— उन्नत स्कूल प्रबन्ध के लिए कार्य-योजना तैयार करना।

विषय-वस्तु

कार्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित थे :

— शैक्षिक प्रबंध-विहंगावलोकन

— प्रभावी प्रधानाचार्य के लिए माडल,

— अपने ही स्कूल का निदान करना,

— स्कूलों में नेतृत्व की शैलियां तथा उसके आयाम,

— समूह गतिकी,

— स्टाफ विकास,

— नीति-निर्णय

— संस्था में संचार

— नवीन प्रक्रियाओं का प्रबन्ध

— सामुदायिक संबंध, तथा

— कार्य-योजना बनाना ।

संगोष्ठी में व्याख्यानपरिचर्चायें, नामिका परिचर्चाएं, समूह कार्य तथा व्यक्तिगत अभ्यास सम्मिलित थे ।

उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

(8-20 दिसम्बर, 1980)

परिचय

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह पर, उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में 8-20 दिसम्बर, 1980 की अवधि के दौरान एक द्विसाप्ताहिक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

चौदह सह-जिला स्कूल निरीक्षकों तथा पांच जिला बैसिक शिक्षा अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया । कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, माननीया शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया ।

उद्देश्य

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे :

— सहभागियों को शैक्षिक योजना, प्रशासन तथा पर्यवेक्षण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं तथा समस्याओं से परिचित कराना,

— उन्हें गुणात्मक सुधार की नई शैक्षिक प्रवृत्तियों तथा कार्यक्रमों से परिचित कराना, तथा

— उन्हें शैक्षिक प्रशासकों के रूप में अपेक्षित तकनीकी क्षमता प्राप्त करने तथा अपनी प्रभाविता बढ़ाने के अवसर प्रदान करना ।

यह कार्यक्रम कुछ महत्वपूर्ण बिषयों पर व्याख्यान-परिचर्चाओं, नाटिका परिचर्चाओं तथा समूह-अभ्यासों पर आधारित थे । इन कार्यक्रमों की कुछ प्रमुख विशेषताएं ये थीं : (क) उत्तर प्रदेश में शिक्षा की समस्याओं, विशेषकर शैक्षिक योजना तथा प्रशासन की समस्याओं के संपर्क में सहभागियों की निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के साथ संगोष्ठी (ख) छात्र संख्या तथा शिक्षक-अपेक्षाओं, संस्थानिक योजना तथा स्कूल मानचित्रण के प्रक्षेपण में अभ्यास (ग) उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए एक नमूना निरीक्षणप्रोफार्मा तैयार करने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में निर्धारित निरीकण-प्रोफार्माओं का बारीकी से विश्लेषण करने के लिए कार्य समूह (घ) उत्तर प्रदेश के स्कूल निरीक्षकों द्वारा भरी गई कुछ चुनी हुई निरीक्षण-रिपोर्टों पर विचार-विमर्श । कार्यक्रम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी, विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहभागियों द्वारा दिल्ली तथा आसपास के स्थानों का दौरा ।

स्कूलों और प्रशिक्षण कालिजों के प्रधानाध्यापकों के लिए स्कूल प्रबंध-संबंधी संगोष्ठी

(पोरवोरम, पणजी : दिसंबर 22–31, 1980)

प्रस्तावना

गोवा, दमन और दीव के राज्य शिक्षा संस्थान के अनुरोध और सहयोग में राज्य शिक्षा संस्थान, पोरवोरिम, पणजी, गोवा में 22 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 1980 तक स्कूलों और प्रशिक्षण कालिजों के प्रधानाध्यापकों के लिए, स्कूल प्रबन्ध संबंधी दस दिन की संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में 28 व्यक्तियों ने भाग लिया।

उद्देश्य

संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य निम्न थे : शैक्षिक प्रबन्धन में प्रमुख संकल्पनाओं का गुण विवेचन, प्रभावी संस्थागत नेता के रूप में प्रधानाध्यापक। मुख्य अध्यापक के लिए आवश्यक उपयुक्त भूमिका, कौशल और ज्ञान की संकल्पना का निर्माण करना और बेहतर स्कूल प्रबन्धन के लिए सक्रिय कार्य-योजना तैयार करना।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगोष्ठी में निम्नलिखित विषय शामिल किए गए थे। शैक्षिक प्रबंधन—एक विहंगम दृष्टि, प्रधानाध्यापक की प्रबन्धकीय भूमिका, अपने स्कूल की समस्याओं का निदान, नेतृत्व, नवीन प्रक्रियाओं का प्रबंधन, स्टाफ विकास, निर्णय लेने की क्षमता, संगठन में सम्प्रेषण, मानवीय संबंध और अभिप्रेरण, स्कूल-समुदाय संबंध, पाठ्येतर क्रियाकलापों का प्रबंधन, क्रियात्मक योजना, समय प्रबंधन और स्टाफ का मूल्यांकन।

हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण पर दूसरी संगोष्ठी

(27 जनवरी से 1 फरवरी, 1981 तक)

आज शिक्षा पर्यवेक्षक के सामने एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए उसे सर्जनात्मक, सहयोगपूर्ण और रचनात्मक होना पड़ता है। ज्ञान, विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में त्वरित विस्तार और इससे भी अधिक वास्तविक जीवन से संबंध रखने वाली शिक्षा की बढ़ती हुई मांग के कारण हो रहे परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्यवक्षक को कौशलों, तकनीकों और ज्ञान से परिपूर्ण होना जरूरी हो जाता है। इसलिए, यह उपयुक्त समझा गया कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण पर विशेषरूप से बल देते हुए एक विषयगत कार्यक्रम का आयोजन किया जाये।

फरवरी 1979 में संस्थान ने हरियाणा के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण पर अपनी प्रथम संगोष्ठी आयोजित करके इस विचार को कार्यरूप प्रदान किया था। यह इसी राज्य के शिक्षा अधिकारियों के लिए दूसरी संगोष्ठी थी। दोनों संगोष्ठियों में शिक्षा के आधुनिक प्रबन्धन के विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं पर विचार-विमर्श के अलावा भारत में कुछेक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निरीक्षक प्रपत्रों पर समालोचनात्मक विचार–विमर्श किया गया और क्षेत्रों का निरीक्षण करके नए प्रपत्र को तैयार करने का उपयोगी प्रयास किया गया।

कुल मिलाकर 22 सहभागियों, यथा—12 उपमंडलीय शिक्षा अधिकारियों, 4 उप जिला शिक्षा अधिकारियों, 4 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, एक प्रायोजना अधिकारी और एक मुल्यांकर अधिकारी ने पाठ्यक्रम में भाग लिया।

उद्देश्य

संगोष्ठी के मुख्य उदेश्य इस प्रकार थे :

— भाग लेने वालों को पर्यवेक्षण की आधुनिक संकल्पनाओं प्रणालियों और तकनीकों से अवगत कराना,

— कुछेक राज्य के पर्यवेक्षण प्रपत्रों और निरीक्षण रिपोर्टों से सहभागियों को परिचित कराना, और

— अपने ही राज्य के प्रपत्र को भविष्य में उपयोग मे लाने के लिए उसका विश्लेषण करने, सुधार करने, और व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना।

विषय-वस्तु

उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर विचार–बिमर्श किया गया : हरियाणा में निरीक्षण और पर्यवेक्षण की पद्धति, पर्यवेक्षण की प्रणालियां और तकनीकें, स्कूलों के पर्यवेक्षण में शिक्षा अधिकारियों की भूमिका के विशेष संदर्भ में, स्कूल समूह और शैक्षिक पर्यवेक्षण, संस्थागत योजना; अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा के विशेष संदर्भ में शैक्षिक पर्यवेक्षण और स्टाफ विकास; स्कूलों में शिक्षण और मूल्यांकन की नवीनतम तकनीकें, प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शिक्षा अधिकारियों की भूमिका; शिक्षा पर्यवेक्षण के व्यवहारपरक पहलू (नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता, अभिप्रेरण और मनोबल, प्रभावी सम्प्रेषण, मानव गतिकी और मानव संबंध) इत्यादि ।

संस्था के संकाय के व्यक्तियों के अलावा, इसमें हरियाणा के शिक्षा विभाग और दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय से विशेषज्ञ बुलाये गए थे । व्याख्यान और पैनल परिचर्चाओं के अलावा काफी समय व्यावहारिक कार्य में भी लगाया गया था ।

1980-81 के दौरान जिला स्तर के अधिकारियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम

प्रस्तावना

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (एन० ए० ई० पी०) में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थान ने पिछले वर्ष के दौरान प्रौढ़ शिक्षा में राज्य और जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आठ अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया था। प्रभावी क्रियान्वयन करने और क्षेत्र अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए, संस्थान ने 1980-81 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों और क्रियान्वयन में लगी हुई अन्य एजेंसियों यथा—विश्वविद्यालयों, स्वैच्छिक एजेंसियों, नेहरू युवक केन्द्रों और क्षेत्रीय राष्ट्रीय सामाजिक सेवा केन्द्रों के वरिष्ठ प्रमुख स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए छह अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया।

उद्देश्य

इन अभिविन्यास कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य निम्न थे :

— प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संकल्पनात्मक ढाचे और उद्देश्यों पर विचार-विमर्श करना और इसके कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय होना;

— कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका, उत्तरदायित्व और कार्यों को परिभाषित करना और उनकी पहचान करना;

— वृहत और सूक्ष्म स्तरों पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की योजना की प्रक्रिया, क्रियाविधि और तकनीकों को समझना; और

— प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तकनीकी और शैक्षिक आधारों की क्रियाविधि को समझना।

वक्ष्य-वस्तु

इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित विषय शामिल किए गए थे :

— कार्यक्रम के उद्देश्य और उनके कार्यान्वयन की नीति,

— कार्यक्रम प्रबंधन—जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों की भूमिका,

— विकास कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम को जोड़ना,

— अन्य एजेंसियों का सहयोग प्राप्त करना,

— लोक/जनसंपर्क माध्यम का सहयोग प्राप्त करना,

— वृहत और सूक्ष्म स्तरों पर योजना,

— पाठ्यचर्या और सामग्रियां,

— उत्तर साक्षरता और अनुवर्ती कार्यक्रम,

— कार्मिकों का प्रशिक्षण, और

— परिवीक्षण, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि ।

कार्य-विधि

ये कार्यक्रम समाव व्यक्तियों के कार्यक्रम के रूप में आयोजित किए गए थे जिनमें प्रशिक्षार्थियों ने विशेषज्ञों के साथ पैनल परिचर्चा में भाग लिया था । इन कार्यक्रकों में केवल उन विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था जो कि अपने विषय के विशेषज्ञ होने के अलावा पर्याप्त क्षेत्र अनुभव रखते थे । इस प्रेकार भाग लेने वालों को विशेषज्ञों के साथ सार्थक अन्योन्य क्रिया के लिए मंच प्रदान किया गया और उन्हें मुक्त और अनौपचारिक वातावरण में अनुभवों के आपसी आदान–प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ ।

इन कार्यक्रमों का प्रथम सत्र, विशेष रूप से अनुभवों के आदान-प्रदान में लगाया गया था जिसमें भाग लेने वालों ने अपने क्षेत्र-अनुभवों के आधार पर कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त किए । इत प्रेक्षणों का संबंध, संगठनात्मक समस्याओं, शिक्षार्थियों के अभिप्रेरण, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की अवस्थिति, अनुवर्ती कार्यक्रमों, प्रशिक्षण सामग्रियों, महिलाओं की विशेष समस्याओं और स्वैच्छिक संगठनों की समस्याओं से था । भाषण और पैनल परिचर्चाओं के अलावा समूह कार्य, क्षेत्रवीक्षण, साक्षरता कार्य की योजना बनाने में व्यावहारिक अभ्यास और फिल्म प्रदर्शन, अभिविन्यास कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण अंग थे ।

क्षेत्र-वीक्षण

राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के संसाधनों से प्राप्त सहायता की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए सहभागी प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र में गए। वे विभिन्न यूनिटों, यथा प्रशिक्षण, सामग्री, साक्षरता पाठ्यचर्या, परिवीक्षण और मूल्यांकन मे गए और वहां संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श किया । वे लोग शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कुछेक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों और दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र की अर्ध-नगरीय और ग्राम क्षेत्रों की कुछेक पुर्नवास बस्तियों में भी गए । उन्हें सामाजिक शिक्षा केन्द्र में भी ले जाया गया जहां शिक्षार्थी विभिन्न कौशलों का ज्ञान अर्जित करते हैं और केन्द्र में बिक्री के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं ।

भाग लेने वाले

विश्वविधालयों, स्वैच्छिक एजेंसियों, नेहरू युवक केन्द्रों और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिला स्तर के 177 प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों ने, जिसमें 33 महिलाएं भी शामिल हैं, अब तक आयोजित छह कार्यक्रमों में भाग लिया । इन कार्यक्रमों में 19 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र शामिल थे ।

विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

कार्यक्रम : तारीख	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या	स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या	विश्व-विद्या-लयों की संख्या	नेहरू युवक केन्द्रों की संख्या	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	भाग लेने वालों की संख्या
1. पहला कार्यक्रम (7-12 अप्रैल, 1980)	7(16)	4	5	—	2	27 (8 महिलाएं)
2. दूसरा कार्यक्रम (9–14 जून, 1980)	11+ (27)	4	3		1	35 (6 महिलाएं)
3. तीसरा कार्यक्रम (16-21 जून, 1980)	4(30)	3	5	—	—	38 (9 महिलाएं)
4. चौथा कार्यक्रम (25-30 अगस्त, 1980)	10(21)	4	3	2	1	31 (5 महिलाएं)
5. पांचवां कार्यक्रम (6-11 अक्तूबर, 1980)	4(7)	5	4	2	—	18 (2 महिलाएं)
6. छठा कार्यक्रम (29 दिसम्बर, 1980 से 3 जनवरी, 1981)	13(21)	3	2	2	—	28 (3 महिलाएं)
	18(122)	23	22	6	4	177

+ अरूणाचल देश से एक सहभागी शामिल करके ।

टिप्पणी : कोष्ठक में दी गई संख्या राज्यों के कुल भाग लेने वालों की संख्या है ।

19. राज्यों और अरूणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के 122 जिला प्रौढ़/प्रायोजना अधिकारियो ने इन कार्यक्रमों में भाग लेकर लाभ उठाया। जिला शिक्षा अधिकारियों का जिला-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

आंध्र प्रदेश	: 04	मणिपुर	: 01
असम	: 03	उड़ीसा	: 04
बिहार	: 19	पंजाब	: 02
गुजरात	: 05	राजस्थान	: 06
हरियाणा	: 05	सिक्किम	: 01
हिमाचल प्रदेश	: 01		
जम्मू और कश्मीर	: 02	तमिलनाडु	: 06
कर्नाटक	: 08	उत्तर प्रदेश	: 30
केरल	: 02	पश्चिमी बंगाल	: 02
मध्य प्रदेश	: 15	अरुणाचल प्रदेश	: 01
महाराष्ट्र	: 05		

प्रमुख सिफारिशें

इन कार्यक्रमों के कार्यकारी दलों की रिपोर्ट में गहन क्षेत्र अध्ययन के आधार पर राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए है। उचित प्राधिकरण के विचारार्थ कुछेक प्रमुख सिफारिशें निम्न थीं :

— इलाकों की आवश्यकताओं को विशेषरूप से ध्यान में रखकर संचार साधनों का विकास करना चाहिए और इसके लिए सदस्यों द्वारा टीम उपागम की सिफारिश की गई थी,

— विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ बारंबार बैठकें करके संचार समस्तरीय और विषमस्तरीय होना चाहिए,

— यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिला संसाधन यूनिट डी० आर० यू० में उपलब्ध दृश्य-श्रव्य किट में वे फिल्में भी होनी चाहिए जिनमें एक समान रूचि वाले अन्य प्रायोजनों की सफलता की कहानियां दर्शायी गई हों,

— शिक्षार्थियों को भजनों, स्थानीय सांस्कृतिक कार्यकलापों, लोक गीतों, नाटक आदि का आयोजन करके अभिप्रेरित करना चाहिए,

— यदि कार्यकर्ता अन्य विकास विभागों की सहायता से शिक्षार्थियों की तात्कालिक समस्याओं को हल करने में मानवीय दृष्टिकोण अपनाए तो अभिप्रेरणा को बढ़ावा मिल सकता है,

— जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों की समस्त कार्यकारी समितियों का सदस्य होना चाहिए,

— जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड समिति को औपचारिक, अनौपचारिक (9-14 आयु वर्ग)और प्रौढ़ शिक्षाकार्यक्रमों में, प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए,

— विभिन्न विभागों के विकासात्मक बजटों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान किया जाना चाहिए,

— विकास विभागों को समन्वय करने के लिए अपने क्षेत्र कार्यकर्ताओं के निरीक्षण शैड्यूल तैयार करने चाहिए,

— राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के केन्द्रों को विभिन्न मनोरंजन और विकास क्रियाकलापों का केन्द्रबिन्दु बनाया जाना चाहिए,

— शिक्षार्थियों के वीक्षण-अंतर्विनिमय द्वारा और उन्हें जन सभाओं में मान्यता देकर अभिप्रेरण को बढ़ाया जा सकता है,

— सुनियोजित उत्तर-साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षार्थियों के 10 माह कार्यक्रम के तत्काल पूरा करने के पश्चात् अनुवर्ती कार्यवाही के लिए निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए,

— प्रायोजना स्टाफ और अन्य विकास और स्थानीय एजेंसियों के सहयोग से स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उचित अध्यापन-अधिगम साधनों को डिजाइन करना चाहिए और उन्हें तैयार करना चाहिए,

— कार्यक्रम के प्रत्येक पहलू का परिवीक्षण और मूल्यांकन की निर्मित पद्धति होनी चाहिए और जिला/प्रायोजना केंद्र स्तर पर कार्यकर्ताओं को स्वमूल्यांकन के आधार पर सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए,

— संस्थागत स्तर पर अनुदेशकों का प्रशिक्षण प्रारंभिक रूप में 10 दिन के लिए होना चाहिए और बाकी के 11 दिन अभिविन्यास और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पर लगाए जाने चाहिए।

— ग्राम आधार स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की योजना का श्रीगणेश किया जाना चाहिए और तत्पश्चात् इसे प्रायोजना, जिला और राज्य स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए, और

— महिला कार्यकर्ताओं की अर्हताओं में छूट देनी चाहिए। महिला अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को समुचित यातायात और उचित सुरक्षा प्रबंध प्रदान किए जाने चाहिए।

तमिलनाडु में वरिष्ठ आचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में अभिविन्यास कार्यक्रम

(अप्रैल 7-16, 1980)

तमिलनाडु कालेजियेट शिक्षा निर्देशालय के अनुरोध पर राष्ट्रीय संस्थान ने तमिलनाडु में मेस्टन प्रशिक्षण कालिज, मद्रास में 7 से 16 अप्रैल, 1980 तक वरिष्ठ आचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में 10 दिन का अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

— भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित प्रवृत्तियों और मुख्य समस्याओं से भाग लेने वालों को अवगत कराना,

— अध्यापन, सीखने और परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों से परिचित कराना,

— कार्य, व्यक्ति और संस्थाओं की समीक्षा, मूल्यनिरूपण और मूल्यांकन के लिए उपकरण का विकास करना,

— शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में आधुनिक प्रबंध तकनीकों तथा उनके अनुप्रयोग के विषय में जागरूकता का प्रसार करना,

— संस्थागत योजना, संकाय विकास, छात्र कल्याण और समुदाय सेवाओं में परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में अपनी भूमिकाओं के महत्व को जानने योग्य बनाना।

विषयवस्तु

इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत जिन शैक्षिक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था वे इस प्रकार थे :

— संबद्ध महाविद्यालयों में पूर्वस्नातक शिक्षा की समस्यायें तथा परिप्रेक्ष्य;

— सबद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा;

— उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखना और उसमें सुधार;

— पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों की पुन: संरचना;

— अच्छे अध्यापन और सीखने में संवर्धन;

— परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन, विद्यार्थी अभिप्रेरण विद्यार्थी/असंतोष;

— संकाय सुधार;

— महाविद्यालय में अध्यापक-संघ की भूमिका;

— संस्था से संबोधित;

— शैक्षिक प्रशासन में संघर्ष प्रबन्ध;

— शैक्षिक प्रबन्ध में नेतृत्व; तथा

— विश्वविद्यालय पर विचार : पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम ।

कार्यक्रम के अंत में अभिविन्यास कार्यक्रम का समापन करने के लिए पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम की संकल्पना पर एक दिन की संगोष्ठी आयोजित की गई । भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को इस संगोष्ठी में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा गया । उन्हें एक या दो पृष्ठ की टिप्पणी लिखने लिए भी प्रोत्साहित किया गया जिसमें उन्हें भारत में पूर्वस्नातक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों तथा प्रयोजनों पर अपने विचार व्यक्त करने को कहा गया । इन टिप्पणियों को पहले ही भाग लेने वालों में परिचालित कर दिया गया था । कुछ विख्यात विद्वतजनों तथा विशेष व्यक्तियों को भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया । संगोष्ठी में भाग लेने वालों को उच्च शिक्षा के सिद्धांत (दर्शन) तथा महाविद्यालयों के प्रबुद्ध शासन के सिद्धांत को विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ । इस कार्यक्रम में अधिकांशत: व्याख्यान चर्चाओं की विधि अपनायी गयी और महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल-परिचर्चाओं की भी व्यवस्था की गई ।

महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम

(8–27 सितम्बर, 1980, 10–29 नवंबर, 1980 तथा जनवरी 5–24, 1981)

परिचय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से संस्थान ने महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए तीन सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम की एक शृंखला का आयोजन किया। पहला अभिविन्यास कार्यक्रम महिला प्रधानाचार्यों के लिए 8-27 सितम्बर, 1980 को, दूसरा 10-29 नवम्बर, 1980 तथा तीसरा 5-24 जनवरी, 1981 को आयोजित किया गया।

उद्देश्य

अभिविन्यास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

— भाग लेने वालों को भारत में उच्च शिक्षा विशेष रूप से कालेजिएट शिक्षा के परिप्रेक्ष्यों और समस्याओं का विहंगावलोकन प्रस्तुत करना;

— अध्यापन, सीखने और परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार को उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों के अवगत कराना;

— संस्थाओं के व्यक्तियों और कार्य की समीक्षा, मूल्य विरूपण तथा मूल्यांकन के उपकरण विकसित करना;

— अपने महाविद्यालयों के विकास से संबंधी समस्याओं की पहचान और इनका समाधान करने के अवसर प्राप्त करना;

— तुलनात्मक रूप से स्थाई तथा/अथवा अल्प संसाधनों के संबंध में विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा नौकरियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की विधियों और साधनों पर विचार करना;

— समाज-राजनैतिक शक्तियों के प्रभाव की बढ़ती हुई जटिलता वाली परिस्थिति में निर्णय लेने के बदलते हुए प्रतिरूपों का सामना करना;

— महाविद्यलय समुदाय के विविध घटकों में समीप संबंधों का विकास करना तथा उन विधियों की पहचान करना जिनसे राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय समुदाय तक अधिक से अधिक पहुंच सके,

— उन राज्यों में एक मूल संकाय तैयार करने के लिए प्रावस्था शैक्षिक प्रबंध संबंधी अभिविन्यास प्रशिक्षण प्रारंभ करना जो वस्तुतः राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के परामर्श से राज्य के अन्य प्रधानाचार्यों के लिए समान कार्यक्रम आयोजित कर सकेगा।

विषय-वस्तु

इन उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए विषयों को तीन विस्तृत शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया यथा सैद्धांतिक पृष्ठभूमि : शैक्षिक कार्यक्रम का प्रबंध-पाठ्यचर्या, अध्यापक, विद्यार्थी अध्यापन, सीखना और परीक्षा; महाविद्यालय और समुदाय, प्रबंध-परंपरायें और नवीन प्रक्रियायें; तथा विश्वविद्यालय पर विचार तथा एक अच्छा प्रधानाचार्य इन सभी विषयों पर इन कार्यक्रमों के दौरान चर्चा की गई।

कार्यक्रम के शैक्षिक और व्यावसायिक घटक इस प्रकार थे : उच्च शिक्षा की समस्यायें और परिप्रेक्ष्य, भारतीय उच्च शिक्षा का वित्तीयन, भारत मे महाविद्यालयी शिक्षा की समस्यायें तथा परिप्रेक्ष्य, महाविद्यालय-वित्त, स्वायत महाविद्यालयों, संस्थागत योजना योजना अभ्यासों (संस्थागत योजना का विकास) का प्रबंध, पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना, उदार और कार्य (जॉब) अभिविन्यासी पाठ्यक्रम, सहपाठ्यचर्या क्रियाकलापों का प्रबन्ध संकाय सुधार, संकाय मूल्यांकन, महाविद्यालयों में अध्यापक संघ की भूमिका विद्यार्थी अभिप्रेरण/विद्यार्थी असंतोष। चुनी हुई दाखिला प्रक्रियायें, विद्यार्थी सेवाओं का प्रबंध, पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों में अच्छे अध्यापन तथा सीखने में संवर्धन, संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा, उपचारात्मक अध्यापन परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन, महाविद्यालय तथा उसका समुदाय, महाविद्यालय और प्रशासन में नई दिशाएं, शैक्षिक प्रशासन की भूमिका, एव केस अध्ययन, शैक्षिक प्रबंध और संचार, शैक्षिक नेतृत्व की शैलियां, संघर्ष प्रबन्ध, समय का प्रबन्ध, दल निर्माण, प्रबंध में नवीन प्रक्रियायें और सृजनशीलता तथा विश्वविद्यालय में पूर्व स्नातक की संकल्पना।

पठन सामग्री

सटिप्पण ग्रंथ सूची सहित चुनी हुई पठन सामग्री का एक खंड भाग लेने वाले आचार्यों में बांटा गया। इसमें कुछ पत्र अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं कन्याओं की विशेष समस्याओं पर केंद्रित थे।

कार्यविधि

कार्यक्रम का संचालन अधिकांशत: व्याख्यान तथा पैनल चर्चाओं द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, योजना आयोग, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय तथा विविध व्यावसायिक क्षेत्रों जैसी एजेंसियों में से अनुभवी प्रशासकों को विशेष व्यक्तियों के रूप मे सम्मिलित किया गया। भाग लेने वालों को अजमेर, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर के अच्छे महाविद्यालयों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने का अवसर भी प्रदान किया गया। भाग लेने वालों के प्रत्येक समूह ने मेजबान महाविद्यालय के आचार्य तथा स्टाफ से हुई चर्चाओं तथा अपने निरीक्षणों की रिपोर्ट तैयार की।

शीघ्रता से परिवर्तित होते हुए इस संसार में उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम में संसाधन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक और प्रशासकीय प्रति उर्वरीकरण तथा महाविद्यालयों के प्रबंध में पहल, सृजनशीलता तथा नवीन प्रक्रियाओं की व्यवस्था की गई है। प्रबंध की बढ़ती हुई समस्याओं की जांच करने के लिए भाग लेने वालों ने अपनी कार्य परिस्थितियों से संबद्ध कुछ विषय समूहों में गहन अध्ययन करने के लिए चुने। पूर्वस्नातक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों और, प्रयोजनों पर चर्चा 'पाठ्यचर्या में पूर्वस्नातक सबंधी विचार' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में की गई। कन्याओं, अनुसूचित जनजातियों तथा विशेष रूप से महाविद्यालयों में उपचारात्मक पाठ्यक्रमों से संबंधित समस्याओं पर विशेष बल दिया गया।

भाग लेने वाले

रिपोर्ट वर्ष की अवधि में 83 प्रधानाचार्यों ने जिसमें 24 महिला प्रधानाचार्य थीं, 16 राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन अभिविन्यास कार्यक्रमों में भाग लिया। महाराष्ट्र का स्थान सूची में सबसे ऊपर था जिसके 14 प्रधानाचार्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश का स्थान था। विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

पहला कार्यक्रम	:	सितम्बर 8–27, 1980	21 भाग लेने वाले
दूसरा कार्यक्रम	:	नवम्बर, 10-29, 1980	33 भाग लेने वाले
तीसरा कार्यक्रम	:	जनवरी 5-24, 1981	29 भाग लेने वाले

राज्य	मनुष्य	स्त्रियां	योग
आंध्र प्रदेश	03	03	06
असम	05	02	07
बिहार	02	01	03
गुजरात	04	02	06
हरियाणा	01	—	01
कर्नाटक	06	01	07
केरल	02	02	04
मध्य प्रदेश	06	01	07
महाराष्ट्र	10	04	14
मेघालय	—	01	01
नागालैंड	01	—	01
उड़ीसा	01	—	01
पंजाब	02	—	02
तमिलनाडु	04	03	07
त्रिपुरा	01	—	01
उत्तर प्रदेश	06	03	09
संघ शासित क्षेत्र			
दिल्ली	01	01	02
चंडीगढ़	01	—	01
मिजोरम	03	—	03
योग	59	24	83

प्रमुख सिफारिशें

भाग लेने वालों ने गहन क्षेत्रीय अध्ययन तथा समूह चर्चाओं के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकारों, महाविद्यालय प्रबन्ध के विचारार्थ तथा प्रधानाचार्यों द्वारा क्रियान्वित किये जाने के लिए भी सिफारिशों की शृंखला प्रस्तुत की। इनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारार्थ सिफारिशें

1. निजी महाविद्यालयों को भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति इस आधार पर दी जानी चाहिए कि उनके पास अच्छी आधारित संरचना, अर्हता प्राप्त संकाय हो तथा उसका उच्च शैक्षिक रिकार्ड हो तथा इसकी सिफारिश संबद्ध विश्वविद्यालय ने की हो।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पिछड़े हुए समूहों के कमजोर वर्गों तथा आश्रयहीनों के महाविद्यालयों के लिए निधियों के विशेष नियतन की व्यवस्था करनी चाहिए।

3. चूंकि भारत जैसे विशाल देश में सब महाविद्यालयों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं से सुविज्ञ होना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए भौतिक रूप से संभव नहीं, इसलिए प्रधानाचार्यों ने यह महसूस किया कि महाविद्यालयों की वित्तीय समस्याओं को प्रभावी रूप से तथा शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सी स्थिति और शक्ति वाले महाविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संबद्ध महाविद्यालयों की कार्यपद्धति के विविध पक्षों के संबंध में उनके प्रधानाचार्यों से संबंध बनाए रखना चाहिए।

4. सक्षम महाविद्यालय तथा असक्षम महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये गये इस वर्गीकरण का निषेध कर दिया जाना चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर/पिछड़े हुए क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े हुए समुदाय और कमजोर वर्गों तथा महिलाओं, आश्रयहीन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले महाविद्यालयों को दिए जाने वाले अनुदानों पर विशेष विचार किया जाना चाहिए।

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय को राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर पांच वर्षों में एक बार प्रधानाचार्यों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए आवश्यक सहायता देनी चाहिए।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में उनके कार्य का मूल्यांकन करने तथा उनकी आवश्यकताओं का जायजा लेने और उनके निष्पादन

के आधार पर विशेष सहायता प्रदान करने की सिफारिश करने के लिए अपने वीक्षण दल भेजने चाहिए।

7. पिछले तीन वर्षों के औसत कुल नामांकन के कम से कम 20 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधायें देने के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि सहशिक्षा महाविद्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की संख्या कुल नामांकन की 33 प्रतिशत हो अथवा अधिक हो उनके लिए एक अलग महिला छात्रावास की व्यवस्था की जा सकती है।

8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संकाय सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत संकाय सदस्यों का चयन करते समय आदिम जाति महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को अधिमान्यता दी जा सकती है।

राज्य सरकारों/महाविद्यालय प्रबन्धकों के विचारार्थ सिफारिशें

1. राज्य सरकार को महाविद्यालय के स्टाफ के सदस्यों के लिए पर्याप्त आवास अल्प ब्याज दरों पर आवास के लिए ऋण देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

2. प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाया जाए जिसमें सभी छात्रवृत्तियां और अनुदान वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का निर्मोचन न करके बल्कि वर्ष भर में नियमित रूप से दिए जायें।

3. महाविद्यालय के प्रभावी विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्यों के संकाय के बार-बार स्थानांतरण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। स्टाफ की स्थिरता संस्थागत निष्ठा और अच्छे निष्पादन को बढ़ाती है।

4. अस्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार प्रधानाचार्य को दिया जा सकता है जिसे सक्षम अधिकारी के स्वीकृति अधीन आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं।

5. राज्य सरकारों को सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को चलाने के लिए 100 प्रतिशत घाटे का भुगतान करना चाहिए। यह इस तथ्य को ध्यान में रख कर प्रस्तावित किया गया कि कुछ राज्य सरकारें सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के सभी घाटे का भुगतान नहीं कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप कभी कभी वेतन बकाया हो जाते हैं और स्टाफ को कष्ट सहने पड़ते हैं।

6. अध्यापक-शिक्षा के स्तरों को ऊंचा उठाने की दृष्टि से प्रत्येक राज्य में एक 'स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन' होना चाहिए जिसका संबंध राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से होना चाहिए।

7. 500 विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाले सभी महाविद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य का पद होना चाहिए।

8. राज्य सरकार को संबद्ध राज्य के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों का वार्षिक सम्मेलन महाविद्यालयों की समस्याओं पर चर्चा और उनका पुनरावलोकन करने के लिए आयोजित करना चाहिए।

9. महाविद्यालय के प्रधानाचार्य उस जिले के लिए गठित जिला विकास परिषद् से सम्बन्धित होने चाहिए जिसमें उनके महाविद्यालय स्थित हैं।

10. सरकार द्वारा स्टाफ के वेतन की अदायगी में सामान्य विलम्ब को दूर किया जाना चाहिए और छात्रवृत्तियां, वजीफे तथा निःशुल्क छात्रवृत्ति आदि शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में ही सरकार से प्राप्त हो जानी चाहिए। प्रधानाचार्य को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि तात्कालिक देयताओं की पूर्ति के लिए प्रबंध की स्वीकृति से एक शीर्ष निधि को दूसरे शीर्ष की निधि में बदल दे। राज्य सरकार को गैर-सरकारी महाविद्यालयों के सम्पूर्ण घाटे को पूरा करना चाहिए।

11. दो से पांच वर्ष तक की उद्भवन अवधि में महाविद्यालय को सरकारी अनुदान न दिए जाने के चलन को दूर करना चाहिए और महाविद्यालय को अनुदान सहायता उसी दिन से दी जानी चाहिए जिस दिन से सरकार ने महाविद्यालय चलाने की अनुमति प्रदान की है।

12. राज्य सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय विकास की योजनाओं में पर्याप्त रूप से समान अंशदान देना चाहिए।

प्रधानाचार्यों के विचारार्थ सिफारिशें

1. बहुत-सी प्रशासनिक कठिनाइयां हल की जा सकती हैं यदि प्रधानाचार्य विभिन्न माध्यम से संचार करें अर्थात प्रबन्ध, अध्यापन स्टाफ तथा विद्यार्थी आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करें।

2. प्रधानाचार्य को महाविद्यालय में छात्रों की भरती सामान्यतः गुणवत्ता के आधार पर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तथापि अनुसूचित/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों, पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों के छात्रों तथा शरीरिक रूप से विक्लांग और आश्रयहीनों के दाखिले के संबंध में आवश्यक रियायतें दी जानी चाहिए। विद्यार्थियों के दाखिले के समय राजनैतिक हस्तक्षेपों को पूरी तरह निरुत्साहित करना चाहिए।

3. प्रधानाचार्य की महाविद्यालयों का सुचारू रूप से कार्य करते रहने, उचित अनुशासन बनाए रखने, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने तथा उच्च शैक्षिक मानकों की स्थापना में

अध्यापक संघ के सक्रिय सहयोग के लिए उठाए गए सभी उचित कदमों का स्वागत करना चाहिए ।

4. प्रधानाचार्य को विद्यार्थी-संघों को सभी प्रकार से प्रशासन में सार्थक सह-भागिता तथा सहयोग के लिए बढ़ावा देना चाहिए । परन्तु महाविद्यालय काम्प्लेक्स के अंदर और बाहर उनके क्रियाकलाप विविध राजनैतिक दलों के दवाव के अधीन नहीं होने चाहिए ।

5. संस्थागत नियोजन को क्षेष्ठ अग्रता प्रदान करनी चाहिए । महाविद्यालय के विकास के लिए प्रारूप योजना को विश्वविद्यालय/राज्य/प्रबन्ध तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए । इसका क्रियान्वयन चरणों में किया जाना जाहिए ।

6. विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन सेवायें, विशेषरूप से दाखिले और परीक्षा के समय, प्रारम्भ की जानी चाहिए ।

7. समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरणी सर्वेक्षण और विस्तार कार्यक्रम एक नियमित विशेषता बन जानी चाहिए ।

8. प्रतिपुष्टि तथा समाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से भूतपूर्व छात्रों से सशक्त संबंध बनाए रखने को बढ़ावा देना चाहिए ।

9. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक संकाय सदस्य पर उनकी समस्याओं का उचित रूप से समाधान करने के लिए आवधिक पुनरावलोकन करने का उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए ।

10. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक रूप से औसत विद्यार्थियों को अपना व्यवसाय चुनने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए विशेष कदम उठाये जाने चाहिए जिसके लिए प्रधानाचार्य द्वारा भी आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए ।

11. खेलों, खेलकूदों, एन० एस० स०, एन० ए० ई० पी० तथा एन सी० सी० और महाविद्यालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में रुचि रखने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को पहचानने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जाने चाहिए ।

12. विद्यार्थी समुदाय के के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये महाविद्यालय में पर्याप्त सुविधाओं वाले एक अध्ययन केन्द्र की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

13. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का भुगतान महाविद्यालय के दाखिले बंद होने के 60 दिन के अन्दर ही अधिमान्य रूप से अनुसूचित बैंकों द्वारा किया जाना चाहिए।

14. महाविद्यालय को विद्यार्थियों और स्थानीय समुदाय के बीच संपर्क को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उपलब्ध नौकरियों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण के सर्वेक्षण किए जाने चाहिए और महाविद्यालयों को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जो विक्रेय कौशलों का जनन कर सकें। यहां व्यावसायिक मार्ग निर्देशन ब्यौरों की भी आवश्यकता है।

15. अध्यापन सर्वश्रेष्ठता के लिए भी अध्यापन संकाय को वार्षिक पुरस्कार दिए जाने को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

16. अध्यापकों को (i) प्रशिक्षण की विशिष्ट तकनीक, (ii) विशेष क्षेत्र में नए ज्ञान, (iii) संस्थागत लक्ष्य, (iv) महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की विशेषताओं का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करने/उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रधानाचार्यों द्वारा कार्यगोष्ठियां अथवा संगोष्ठियां आयोजित की जा सकती हैं।

यू० एस० ई० एफ० आई की विश्वविद्यालय प्रशासन परियोजना, 1981 के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका को प्रस्थान करने वाले महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के प्रवर समूह के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

(2–3 फरवरी, 1981)

वर्तमान संसाधनों के अंतर्गत उच्च शिक्षा में सार्थक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान महाविद्यालय के एक चुने हुए समूह के अमरीकन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छह सप्ताह के अध्ययन दौरे को प्रति वर्ष प्रायोजित करता रहा है। यू० एस० ई० एफ० आई० के अनुरोध पर राष्ट्रीय संस्थान 1977 से इन समूहों के लिए एक प्रस्थानपूर्व अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इस बार यू० एस० ई० एफ० आई० की विश्वविद्यालय प्रशासन परियोजना, 1981 के अंतर्गत अमरीका प्रस्थान करने वाले आठ महाविद्यालय प्रधानाचार्यों के एक चुने हुए समूह के लिए दो दिन का प्रस्थानपूर्व अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उद्देश्य

इस अभिविन्यास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

— भाग लेने वालों को भारत में उच्च शिक्षा के विकास से अवगत करवाना,

— उन्हें अमरीका में उच्च शिक्षा के पैटर्न से परिचित करवाना और भारत तथा अमरीका में उच्च शिक्षा के विकास की अद्यतन प्रवृत्तियों की तुलना करना, तथा

— वर्तमान ढ़ाचे के अंतर्गत संभावित शैक्षिक नवीन प्रक्रियाओं पर विचार करना।

विषय-वस्तु

इस कार्यक्रम की अवधि में जिन विषयों पर विचार किया गया वे इस प्रकार हैं। अमरीकी उच्च शिक्षा—अतीत तथा भविष्य, अमरीकी शिक्षा—शब्दावली और संरचना, संकाय विकास, महाविद्यालय समुदाय अन्योन्यक्रिया, वैयक्तिक परियोजनाओं पर चर्चा।

यह कार्यक्रम अंत: शास्त्रीय आधार पर संचालित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय संस्थान के संकाय सदस्यों के अतिरिक्त यू० एस० ई० एफ० आई०, एन० सी० ई० आर० टी०, भारतीय विश्वविद्यालय संघ से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया।

आंध्र प्रदेश के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम

(25 फरवरी–6 मार्च, 1981)

राष्ट्रीय संस्थान ने उस्मानिया, आंध्र प्रदेश तथा श्रीवेंकटेश्वर विश्वविद्यालयों से चुने गए 35 प्रधानाचार्यों के एक समूह के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में 10 दिन का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हैदराबाद में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कालेजियेट सेल से सहयोग किया ।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

— भाग लेने वालों के समक्ष भारत में उच्च शिक्षा विशेष रूप से महाविद्यालय शिक्षा के परिप्रेक्ष्यों और समस्याओं का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करना,

— कार्य, व्यक्तियों और संस्थाओं की समीक्षा, मूल्य–निरूपण तथा मूल्यांकन के लिए उपकरणों का विकास करना,

— अपने महाविद्यालयों में विकासात्मक समस्याओं को पहचानने और उनका मूल्यांकन करने/समाधान करने का अवसर प्राप्त करना,

— बढ़ती हुई जटिलता और समाज-राजनतिक शक्तियों के प्रभाव से युक्त परिस्थितियों में निर्णय लिये जाने के बदलते हुए पैटर्न से जूझना ।

कार्यक्रम की शैक्षिक और व्यावसायिक विषयवस्तु में 25 विषयों को सम्मिलित किया गया जो संस्थागत नियोजन, तथा महाविद्यालय वित्तों का प्रबंध, स्वायत्तता प्राप्त महाविद्यालय; 2000 ए० डी० में महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा; संकाय विकास और मूल्यांकन; अध्यापक संघ की भूमिका; विद्यार्थी अभिप्रेरण और अशांति; परीक्षा सुधार; एन० एस० एस०/एन० ए० ई० पी० में महाविद्यालयों की भूमिका; शैक्षिक नेतृत्व शैलियां; दल निर्माण; समय का प्रबन्ध, संघर्ष, शैक्षिक प्रबंध में संचार; महाविद्यालय में प्रशासनिक समस्यायें, महाविद्यालय का स्वमूल्यांकन तथा क्रिया-योजना से संबंधित थे ।

भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्त-अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रबंध संबंधी चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम

(5-17 मई, 1980)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रीय संस्थान ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबन्ध अध्ययन संकाय के सहयोग से 5 से 17 मई, 1980 को भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्त-अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रबंध संबंधी चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 17 वित्तीय अधिकारियों/उप रजिस्ट्रारों/नियंत्रकों ने भाग लिया।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

— भाग लेने वालों को सामान्य और उच्च शिक्षा विशेष रूप से देश के समाज-आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका के महत्व से परिचित कराना;

— भाग लेने वालों में भारतीय विश्वविद्यालयों में वर्तमान वित्तीय प्रशासन पद्धति के ज्ञान का विकास करना और इसकी पद्धतिबद्ध समीक्षा को विशेष रूप से भारत में, सरल बनाना;

— भारतीय विश्वविद्यालयों में वित्त संबंधी कार्यों की नयी भूमिका और उत्तरदायित्वों को पहचानने और समझने में सहायता करना तथा शैक्षिक कार्यक्रमों पर इसके प्रकार का मूल्यांकन करना;

— सामान्यतः आधुनिक प्रबंध और विशेषतः आधुनिक वित्तीय प्रबंध की तकनीकों के ज्ञान का प्रसार करना, विशेषरूप से शैक्षिक प्रशासन में उनके अनुप्रयोग की दृष्टि से।

विषय-वस्तु

इस कार्यक्रम की मुख्य विषय इस प्रकार थे :

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसकी कार्य पद्धति,

— भारतीय विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रशासन की पद्धति,

— विश्वविद्यालय प्रशासन में संगठन और प्रबन्ध (ओ० तथा एम०) विधियां,

— राजस्व नियोजन, परिवीक्षण, विश्वविद्यालयों में लेखा तैयार करना और उसका रखरखाव;

— संबद्ध विश्वविद्यालयों में अनुदान सहायता पैटर्न और प्रक्रियायें;

— प्रत्यायोजन और बजट पद्धति,

— भारत में उच्च शिक्षा का वित्तीयन,

— भारत में उच्च शिक्षा;

— वित्तीय सूचना पद्धति के तत्व;

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वित्तीय अधिकारियों की भूमिका तथा उच्च शिक्षा का वित्तयन;

— आतरिक लेखापरीक्षा;

— वित्तीय संसाधनों की प्रभावी उपयोगिता;

— स्टाफ संबंध तथा पदौन्नति की नीति;

— वित्तीय समितियों की भूमिका और कार्य;

— विश्वविद्यालयों के लिए माडल बजट बनाना तथा वित्तीय प्रशासन की पद्धति।

वित्तीय अधिकारियों को दिल्ली विश्वविद्यालय की वित्तीय शाखा के संगठन और कार्यप्रणाली से परिचित करवाने के लिए वहां ले जाया गया और प्रबन्ध अध्ययन संकाय के सदस्यों से भी उपयोगी चर्चा की गई।

इस कार्यक्रम का विशेष गुण पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में दौरा करना और विश्वविद्यालय के कार्यालय के गठन में संगठन और प्रबन्ध (ओ० तथा एम०) विधियों के अनुप्रयोग जिसमें विविध रूपों के आधुनिकीकरण में नवाचार भी सम्मिलित है, का उपयोगी उद्‌भासन है।

कृषि विश्वविद्यालयों के लेखा नियंत्रकों के लिए वित्तीय प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

(22 अक्तूबर–1 नवम्बर, 1980)

परिचय

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय संस्थान ने 22 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 1980 को भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के लेखा नियंत्रकों के लिए वित्तीय प्रबंध में दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वित्तीय प्रबंध कार्यक्रमों की श्रृंखला में यह पांचवा कार्यक्रम था परन्तु कृषि विश्वविद्यालयों की आवश्यताओं की पूर्ति के संबंध में यह अपने ही तरह का पहला कार्यक्रम था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के 13 व्यक्तियों ने भाग लिया।

उद्देश्य

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार थे :

— लेखा नियंत्रकों को सामान्यत: शिक्षा और विशेषत: कृषि शिक्षा की भारत में समाज-आर्थिक तथा कृषि संबंधी विकास में भूमिका का महत्व बताना;

— उनमें कृषि विश्वविद्यालयों की वर्तमान वित्तीय प्रशासन पद्धति के संवर्धित ज्ञान का विकास करना और उसकी पद्धतिबद्ध समीक्षा को सरल बनाना;

— कृषि विश्वविद्यालयों के वित्तीय कार्यों की नयी भूमिका और उत्तरदायित्वों की पहचान करने और उन्हे समझने में सहायता करना और शैक्षिक कार्यक्रमों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना;

— आधुनिक वित्तीय प्रबंध के ज्ञान का विशेष रूप से शैक्षिक प्रशासन में उनके अनुप्रयोग की दृष्टि से प्रसार करना।

विषय वस्तु

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न विषयों पर विचार किया गया : कृषि विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंध में कुछ नवाचार (नवीन प्रक्रियायें), कृषि शिक्षा के विशेष संदर्भ में भारत में उच्च शिक्षा, भारत में कृषि शिक्षा का

वित्तीयन, प्रबंध लेखाकरण, कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यक्रमों का वित्तीयन, कृषि विश्वविद्यालयों के वित्तीयन के विशेष संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रबन्ध के लिए प्रबन्ध सूचना पद्धति, संघर्ष संकल्पना तथा मानवीय संबंध, कृषि विश्वविद्यालय में आंतरिक संसाधनों का विकास, कृषि विश्वविद्यालयों के लेखा नियंत्रक की भूमिका और कार्य, राज्य सरकारों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के बीच वित्तीय संबंध, कृषि विश्वविद्यालयों में वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग तथा वित्तीय समितियों की भूमिका और कार्य ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम व्याख्यान, पैनल तथा समूह चर्चाओं पर और क्षेत्रीय वीक्षणों पर भी आधारित था ।

जम्मू तथा काश्मीर के जिला तथा तहसील शैक्षिक योजना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संगोष्ठी

(21 अप्रैल-3 मई, 1980)

जम्मू और कश्मीर सरकार के शिक्षा विभाग के अनुरोध पर, राष्ट्रीय संस्थान ने 21 अप्रैल से 3 मई, 1980 तक जम्मू और कश्मीर के जिला और तहसील के शैक्षिक योजना अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना में सांख्यिकी तकनीकों के प्रयोग पर इस शृंखला की पहली दो सप्ताह की प्रशिक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में जम्मू और कश्मीर राज्य के कश्मीर मंडल के 22 व्यक्तियों ने भाग लिया जिसमें 3 जिला शैक्षिक योजना अधिकारी, 18 तहसील शैक्षिक योजना अधिकारी और शिक्षा विभाग के एक सांख्यिकी विद् सम्मिलित थे।

उद्देश्य

इस संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

— भाग लेने वालों को शैक्षिक योजना की अद्यतन प्रवृत्तियों तथा तकनीकों से अवगत कराना;

— भाग लेने वालों को शैक्षिक योजना में सांख्यिकीय तकनीकों में प्रशिक्षित करना।

विषय-वस्तु

इस संगोष्ठी में निम्नलिखत विषयों पर विचार किया गया :

— जम्मू और कश्मीर में शिक्षा : अतीत तथा भविष्य

— शैक्षिक नियोजन : संकल्पना तथा तकनीक;

— भारत तथा जम्मू और कश्मीर में शैक्षिक नियोजन;

— जम्मू और कश्मीर के विशेष संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के लिए योजना;

— सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए योजना;

— उच्च माध्यमिक अवस्था में व्यावसायिकीकरण तथा समाज उपयोगी उत्पादन-शील कार्य के लिए योजना;

— प्रौढ़ शिक्षा के लिए योजना;

— संस्थागत नियोजन और शैक्षिक नवाचार के लिए योजना;

— समाज के कमजोर वर्गों के लिए तथा जम्मू और कश्मीर के विशेष संदर्भ में पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए योजना;

— जम्मू और कश्मीर के विशेष संदर्भ में शैक्षिक सांख्यिकी;

— शैक्षिक सांख्यिकी की संकल्पना और परिभाषा;

— जम्मू और कश्मीर में प्रबंध सूचना पद्धति;

— शैक्षिक योजना का जनांकिकीय पक्ष;

— शैक्षिक योजना के मात्रात्मक पक्षों में विश्लेषण प्रविधियां;

— शैक्षिक योजना में जनसंख्या दर्शाने की प्रविधिया;

— शिक्षा में प्रवाही सांख्यिकी (फ्लो स्टेटिस्टिक) का विश्लेषण;

— शिक्षा में अपव्यय का विश्लेषण,

— शिक्षा में नमूना सर्वेक्षण प्रणालियां;

— शिक्षा में अप्रत्युत्तरों के प्राकलन की प्रविधियां;

— शिक्षा में आंतरिक प्रवीणता के सूचक;

— शैक्षिक योजना में प्रक्षेपण प्रविधियां
(नामांकन, अध्यापक तथा लागत) ।

भारत में विद्यालयी शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों तथा सचिवों के लिए विद्यालयी शिक्षा के प्रबंधकीय पक्षों पर संगोष्ठी

(4-6 अगस्त, 1980)

राष्ट्रीय संस्थान ने भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद् के सहयोग से भारत में शिक्षा बोर्डों के 22 अध्यक्षों और सचिवों के लिए 4-6 अगस्त, 1980 को स्कूल शिक्षा के प्रबंधकीय पक्षों पर तीन दिन की संगोष्ठी का आयोजन किया ।

उद्देश्य

संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

— स्कूल शिक्षा बोर्डों के प्रबंधकीय पक्षों पर चर्चा; तथा

— स्कूल परीक्षा पद्धति से संबंधित शैक्षिक और प्रशासनिक समस्याओं की पहचान और उनका संभाव्य समाधान ।

विष्यवस्तु

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया :

— परीक्षाओं का प्रबन्ध—पूर्व परीक्षा नीति संचालन प्रकिया, परीक्षा के बाद की नीतियां;

— बोर्ड के प्रशासन में आधुनिक प्रबंध प्रविधियां;

— व्यवहारात्मक पक्ष—मानव संबंध, संघर्ष प्रबन्ध, कार्य संबंधी व्यवहार तथा अभिप्रेरण, नवाचार और परिवर्तन, व्यक्तियों के विकास में सहायता;

— पाठ्यचर्या योजना–मूल और आवश्यकता पर आधारित पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या की प्रक्रिया प्रतिपुष्टि और पाठ्यचर्या पुनरावलोकन, तथा

— शिक्षा बोर्डों की भूमिका का स्पष्टीकरण ।

इन विषयों पर व्याख्यान-चर्चाओं, पैनल चर्चाओं तथा समूह चर्चाओं में विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त बोर्डो के प्रबन्ध-विषय पर संगोष्ठी में भाग लेने वालों के अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए 'सहभागियों की संगोष्ठी' नामक सत्र में विचार-विमर्श किया गया।

सांख्यिकी सहायकों के लिए शैक्षिक सांख्यिकी में दूसरा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

(22-24 अगस्त, 1980)

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के अनुरोध पर तथा मंत्रालय के योजना, परिवीक्षण और सांख्यिकी अनुभाग के सहयोग से राष्ट्रीय संस्थान ने सांख्यिकी सहायकों के लिए 4-16 अगस्त, 1980 को शैक्षिक सांख्यिकी में दूसरा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 45 व्यक्तियों और शिक्षा मंत्रालय के सांख्यिकी अनुभाग के एक व्यक्ति ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

— भारत में शैक्षिक सांख्यिकी के संग्रह की प्रकृति, विस्तार और पद्धति का अध्ययन करना;

— शैक्षिक सांख्यिकी की संकल्पनाओं और परिभाषाओं को समझना;

— शैक्षिक सांख्यिकी के संग्रह और संकलन में प्रयोग में आने वाले फार्मों को भरने की प्रणालियों तथा उनकी जांच का अध्ययन करना; तथा

— शैक्षिक सांख्यिकी में विश्लेषण की सरल प्रविधियों को समझना।

विषयवस्तु

इस कार्यक्रम में जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया वे इस प्रकार हैं :

— भारत में शैक्षिक सांख्यिकी के संग्रह की प्रकृति, विस्तार और पद्धति;

— शैक्षिक सांख्यिकी की संकल्पनायें और परिभाषायें;

— शैक्षिक सांख्यिकी में विश्लेषणात्मक प्रविधियां;

— आंकड़ों के संग्रह और संकलन में आने वाली काठिनाइयों/समस्याओं की प्रकृति; तथा

— संस्थागत प्रपत्रों को भरने, उनकी जांच तथा समन्वय की प्रविधियां तथा उनका संकलन (शैक्षिक सांख्यिकी–i से शैक्षिक सांख्यिकी–vi तक)

प्रशिक्षण प्रणाली में व्याख्यान चर्चाओं के अतिरिक्त व्यावहारिक अभ्यासों तथा समूहकार्य क लिए भी पर्याप्त व्यवस्था थी ।

शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों की संगोष्ठी

(22-24 अगस्त, 1980)

कार्यक्रम परामर्श समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय संस्थान ने विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के चुने हुए शिक्षा सचिवों और निदेशकों के लिए 22-24 अगस्त, 1980 को एक संगोष्ठी आयोजित की। यह संगोष्ठियों की श्रंखला में पहली संगोष्ठी थी जिसमें 12 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों के 19 शिक्षा सचिवों तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के संकाय सदस्यों के अतिरिक्त 13 अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह संगोष्ठी छठी पंचवर्षीय योजना के उपागम को अंतिम रूप दिए जाने से पहले अत्यधिक उपयुक्त समय में आयोजित की गई जबकि यह आशा थी कि विभिन्न शैक्षिक योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त नीतियां बनाते समय संगोष्ठी के विचार-विमर्श को ध्यान में रखा जा सकता है।

उद्देश्य

संगोष्ठी के उद्देश्य इस प्रकार थे :

— विविध शैक्षिक सुधारों और उनके क्रियान्वयन पर पूर्ण और स्पष्ट चर्चा का अवसर प्रदान करना;

— शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में सामान्य समस्याओं और मसलों तथा इन समस्याओं से निपटने के लिए संभाव्य तरीकों और साधनों को ध्यान में रखते हुए गत अनुभवों, विशेष रूप से सफलताओं और असफलताओं तथा कठिनाइयों का, गहन विश्लेषण करना।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री पी० सबानायगम, सचिव शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने यह अनुभव किया कि जिस लक्ष्य-समूहों के लिए शैक्षिक योजना का निर्माण करना है उसको ध्यान में रखना मूलभूत प्रश्न है और उन्होंने 3–6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों की पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, जो अभी तक अपेक्षित रही है, की आवश्यकता पर बल दिया। शैलिक स्तरों में सुधार लाने के लिए, राज्य शिक्षा बोर्ड तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने की भी आवश्यकता है। सरकार और स्थानीय निकायों के संबंधों पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। सभी स्तरों पर कार्मिका की गुणवत्ता और प्रशिक्षण में सुधार लाने की भी आवश्यकता है। विद्यालयी सुविधाओं के विस्तार में उपेक्षित क्षेत्रों पर विशे ध्यानष दिया जाना चाहिए

और + 2 अवस्था में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने में समुदाय और अन्य विभागीय सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। इस पर बल दिया गया कि शिक्षा का लोकतंत्रीकरण लाभ वंचित वर्गों को मात्र सुविधायें देना ही नहीं है। इसका अर्थ उन्हें सफलता प्राप्ति के उचित अवसर दिए जाने को सुनिश्चित करना भी है। 1982 में भारत (आई० एन० एस० ए० टी०) द्वारा लांच किए जाने वाले उपग्रह का शैक्षिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने की तैयारी पर भी बल दिया गया।

अपने मुख्य ध्यानाकर्षण भाषण में डा० स्वामीनाथन, सदस्य, योजना आयोग ने शिक्षा, विकास और रोजगार में आंतरिक सुगठित, अनुबन्ध स्थापित करने के लिए अनुरोध किया। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने यह पाया कि शैक्षिक समुदाय की वास्तविक जीवन से अन्योन्याक्रिया के अवसर प्राप्त करके अन्योन्य-क्रिया द्वारा निर्धनों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

समापन समारोह की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रो० एम० वी माथुर ने की, जिन्होंने वैकल्पिक अपरम्परागत कार्यक्रमों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया जो जन शिक्षा की मौलिक पद्धति का निर्माण करने के लिए तुलनात्मक रूप से कम लागत पर अच्छी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था कर सकते हैं। संगोष्ठी के दौरान अभिव्यक्त किए गए सुझावों और विचारों को निम्न तीन व्यापक वर्गों में विभक्त किया जा सकता है : शैक्षिक नीति और सुधार से संबंधित, विशेषरूप से शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित, और शिक्षा की गुणता, विषयवस्तु और नवीन प्रक्रियाओं से संबंधित।

राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य कार्मिकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

(13-16 जनवरी, 1981)

परिचय

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 13 से 16 जनवरी, 1981 को राष्ट्रीय संस्थान ने राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य कार्मिकों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र में कार्य कर रहे 23 अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम के उद्देश्य भाग लेने वालों को व्याख्यान चर्चा तथा अनुभव के अदान-प्रदान द्वारा निम्न विषयों पर राष्ट्रीय सेवा योजना का पूर्ण गुण-विवेचन प्राप्त करवाना है :

— कार्यक्रम उद्देश्य और लक्ष्य;

— कार्यक्रम योजना की प्रविधियां;

— क्रियान्वयन की समस्यायें और चुनौतियां;

— कार्यक्रम-मूल्यांकन की प्रविधियां।

इस कार्यक्रम का दूसरा उद्देश्य भाग लेने वालों को राष्ट्रीय सेवा योजना में अद्यतन विचारों से अवगत कराना था।

विषयवस्तु

कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्न विषयों पर चर्चा की गई : राष्ट्रीय सेवा में सिद्धांत और विचार प्रक्रियायें; राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रगति और अनुभवों की समीक्षा, विद्यार्थियों के कार्य और समुदाय अनुक्रिया के संबंध में ऐच्छिक एजेंसियों के अनुभव; योजना की प्रविधियां तथा योजना कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन; परियोजना/कार्यक्रम योजना और प्रबंध; विद्यार्थी तथा अध्यापक सहभागिता तथा अभिप्रेरण और परियोजना/कार्यक्रम मूल्यांकन-स्व मूल्यांकन, राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा का समुदाय से अनुबंध; राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सामाजिक परिवर्तन; राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्य में नए क्षेत्रों की खोज; तथा क्रिया-कार्यक्रम की तैयारी।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं पर संगोष्ठी

(22-24 जनवरी, 1981)

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय संस्थान ने निम्न तीन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के संगठन और प्रशासन से संबंधित सभी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की : (1) राष्ट्रीय योग्यता छात्र-वृत्ति, (2) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति तथा (3) ग्रामीण प्रतिभा खोज योजना। राष्ट्रीय सस्थान ने तदनुसार 22-24 जनवरी, 1981 को इन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं पर शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के परामर्श से गठित संगोष्डी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में विभिन्न राज्यों और संघ शासित राज्यों में छात्रबृति योजनाओं के 23 प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया।

उद्देश्य

संगोष्ठी के निम्न उद्देश्य थे :

— शिक्षा मंत्रालय के छात्रवृत्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उठने वाली समस्याओं की जांच करना, और अनुचित उपचारात्मक कदम उठाना; तथा

— भाग लेने वालों को छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के उद्देश्यों से परिचित कराना।

विषयवस्तु

संगोष्ठी का उद्घाटन पी० एस० सी० दुबे, राष्ट्रीय अध्येता, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई० सी० एस० एस० आर०) ने किया जिन्होंने' शिक्षा में समानता का अवसर और इसके संवर्धन में छात्रवृत्ति की भूमिका' पर नीति–सूचक भाषण भी दिया। मुख्य भाषण के पश्चात इन तीन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं में आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाग लेने वालों ने सामान्य चर्चा की। इसलिए भाग लेने वाले इन दो कार्यकारी समूह में विभक्त हो गए : कार्यकारी समूह–1 : राष्ट्रीय योग्यता तथा ऋण छात्रवृत्ति योजना, कार्यकारी समूह–ii : राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभा खोज योजना।

पहले समूह में राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृति योजना और राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना पर अलग से चर्चा की गई। दोनों ही कार्यकारी समूह ने अपना ध्यान निम्न

मुख्य विषयों पर केंद्रित किया। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत चुनाव तथा पंजाट की समस्यायें, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति के नियतन और पंचाट की प्रक्रियायें और समस्यायें तथा छात्रवृत्ति के संवितरण तथा ऋण छात्रवृत्ति की वसूली की समस्यायें तथा प्रक्रियायें, योजना को अधिक दक्ष और उपयोगी बनाने के लिए अधिक जांच पड़ताल के विषय शिक्षा में अवसरों की समानता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाली अन्य नीतियों का पता लगाने के लिए आवश्यक अध्ययन।

संयुक्त राज्य अमरीका के सामाजिक अध्ययन पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्या निदेशकों के लिए भारतीय इतिहास तथा संस्कृति से संबंधित कार्यशाला

(30 जून–16 जुलाई, 1980)

भारत में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक प्रतिष्ठान के अनुरोध पर तथा शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन पर राष्ट्रीय संस्थान ने 30 जून से 16 जुलाई, 1980 को सामाजिक विज्ञानों के पर्यवेक्षकों और पाठ्यचर्या निदेशकों के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति में कार्यशाला का आयोजन किया। समुद्रपारीय शैक्षिक पर्यवेक्षकों का यह तीसरा समूह था जो संस्थान से संबद्ध था। इस कार्यशाला में संयुक्त राज्य के 15 सामाजिक विज्ञान पर्यवेक्षकों तथा पाठ्यचर्या निदेशकों ने भाग लिया।

उद्देश्य

इस कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :

— भारतीय इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन;

— भाग लेने वालों को शिक्षा की मुख्य प्रवृतियों तथा भारत में विकास के बदलते हुए प्रतिरूपों से परिचित करना;

— आधुनिक भारत की ऐतिहासिक प्रवृत्तियों और प्रतिकूल प्रवृत्तियों की जानकारी बढ़ाना जो संयुक्त राज्य के स्कूलों में भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्यापन के संवर्धन में उपयोगी होगी; तथा

— भारतीय शिक्षाविदों की सहायता से आपसी समझ को बढ़ाना।

विषयवस्तु

कार्यशाला में निम्न विषयों पर विचार किया गया :

— भारत-भूमि और लोग;

— भारत में समकालीन चुनौतियां;

— विकासशील देशों में आर्थिक विकास में भारत की भूमिका;

— भारत में तत्कालीन राजनैतिक विकास;

— भारत का स्वतंत्रता संघर्ष;

— भारत पर महात्मा गांधी का प्रभाव;

— भारतीय विदेश नीति में तत्कालीन प्रवृत्तियां;

— भारत की हरित क्रान्ति;

— भारत की साक्षरता विरासत;

— भारतीय स्कूलों में सामाजिक विज्ञान अध्यापन;

— भारतीय मूल्य पद्धति;

— भारत में सामाजिक परिवर्तन;

— आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति;

— भारतीय शिक्षा की मुख्य समस्यायें;

— आधुनिक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी;

— जन-संपर्क साधन;

— भारतीय धर्म;

— पश्चिम पर भारतीय प्रभाव;

— भारतीय आर्थिक—शक्तियां तथा बाध्यतायें;

— भारत में शोषित वर्गों की समस्या।

व्याख्यान चर्चाओं के अतिरिक्त भाग लेने वालों के लाभ के लिए निम्न स्थानों पर क्षेत्रीय वीक्षणों की व्यवस्था की गई : राष्ट्रीय संग्रहालय, ओखला हस्तशिल्प डिजाइन केन्द्र, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्र नजफगढ़ ब्लाक, लोक सभा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा एन० डी० एम० सी० नवयुग स्कूल। इसके अतिरिक्त भाग लेने वालों को अनेक संबद्ध फिल्में और विडिओ टेप रिकार्डिग भी दिखाई गई।

भूटान की यूनेस्को अध्येता के लिए शैक्षिक प्रशासन में संलग्न कार्यक्रम

(4-16 सितम्बर, 1980)

यूनेस्को अध्ययन अनुदान के अंतर्गत कुमारी चंद्रकला गुरंग ने राष्ट्रीय संस्थान में 4-16 सितम्बर, 1980 को शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र मे एक अध्ययन कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य भारत में अध्यापक और स्कूल शिक्षा, विशेष रूप से उसके प्रशासनिक और योजना पक्षों के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना था।

कुमारी गुरंग को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के संकाय सदस्यों से शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता के विषयों पर अन्योन्य चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय तथा योजना आयोग में संबंधित विषयों के अधिकारियों से चर्चा करने के लिए उनके वीक्षणों की भी व्यवस्था की गई।

शैक्षिक योजना, सांख्यिकी तथा प्रशासन में प्रशिक्षण के लिए अफगानिस्तान के यूनेस्को अध्येताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम

(सितम्बर 22-दिसम्बर 6, 1980)

यूनेस्को और शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के अनुरोध पर राष्ट्रीय संस्थाक ने अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के यूनेस्को अध्वेतावृत्ति प्राप्त अध्येताओं के लिए 22 सितम्बर, से 6 दिसम्बर, 1980 तक शैक्षिक योजना, प्रशासन और सांख्यिकी में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री जे० वीराराघवन, कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने 22 सितम्बर, 1980 को किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम (1) भाग लेने वालों को शैक्षिक योजना, सांख्यिकी और प्रशासन के मूलभूत संप्रत्ययों से परिचित कराने; तथा (2) शैक्षिक आयोजकों और प्रशासकों के रूप में उनके कार्यों के लिए अनिवार्य मूलभूत कौशलों और प्रविधियों में आधार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था।

इस कार्यक्रम के विषयों में शैक्षिक योजना में सिद्धांत और अभ्यास, भारत के विशेष संदर्भ में शैक्षिक योजना में आधुनिक मामलो, शैक्षिक योजना का मात्रात्मक पक्ष, भारत के विशेष संदर्भ में शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत और अभ्यास सम्मिलित हैं।

अभिविन्यास कार्यप्रणाली में व्याख्यान चर्चा, अभ्यास, क्षेत्रीय वीक्षण, समूह कार्य और वेयक्तिक अध्ययन जो उपसत्र लेखों को तैयार करवाते हैं, सम्मिलित हैं।

शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्र में हुए अनुभवों के आदान-प्रदान पर अंतःदेशीय कार्यशाला

(15-22 नवम्बर, 1980)

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध पर और केन्द्रीय भवन अनुसंधान, रुड़की और एन० सी० ई० आर० टी०, नई दिल्ली के सहयोग से राष्ट्रीय संस्थान ने ऊपर दी हुई तिथियों में शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्र में अनुभवों के आदान-प्रदान पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया । यह कार्यशाला एशिया यथा ओशिनिया, बैंकाक में शिक्षा के यूनेस्कों क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रायोजित की गई थी और इसमें निम्न तीन देशों के 17 व्यक्तियों ने भाग लिया : इंडोनेशिया, फिलीपीन्स तथा भारत ।

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित श्री लंका के शिक्षा अधिकारियों का भारत अध्ययन दौरा

(24 नवम्बर–6 दिसम्बर 1980)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने श्री चंद्रशेखर मुदालिग अरियावन्सा, निदेशक, शैक्षिक योजनाकारो और प्रशासकों का राष्ट्रीय स्टाफ कालिज तथा श्री हिदालग अरियादास, परेरा, प्राध्यापक, स्टाफ कालिज, कलुत्रा, श्री लंका के लिए 24 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 1980 को एक यूनेस्को प्रायोजित अध्ययन यात्रा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एन० आई० ई० पी० ए०, एन० सी० ई० आर० टी०, आई० आई० पी० ए०, आई० सी० एस० एस० आर० तथा यू० जी० सी० के प्रशासनिक संरचना का अध्ययन तथा एन० आई० ई० पी० ए० द्वारा प्रारम्भ किया हुआ शैक्षिक यौजना और प्रबन्ध में पत्राचार पाठ्यक्रम के संगठन के अतिरिक्त जयपूर में एक क्षेत्रीय वीक्षण भी सम्मिसित है।

शैक्षिक योजना और प्रबन्ध में दूसरा पत्राचार पाठ्यक्रम 1979-80 : एक संपर्क कार्यक्रम

(मई 26-31, 1980)

राष्ट्रीय संस्थान ने एशिया तथा ओशिनिया (आर० ओ० ई० ए० ओ०), बैंकाक, थाईलेंड में शिक्षा के यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से 1 जुलाई, 1979 को पत्राचार पाठ्यक्रम की श्रंखला में दूसरे पत्राचार पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पाठ्यक्रम सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की तरह था तथा इसमें भाग लेने वाले केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों (अधिमान्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारियों के स्तर से नीचे नहीं) ने भाग लिया। यद्यपि प्रारंभ में राज्य सरकारों के प्रायोजी अधिकारियों की सिफारिश पर 94 व्यक्ति इस पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत किए गए, परन्तु भाग लेने वालों की वस्तुत: संख्या 50 इस अर्थ में थी कि उन्होंने कम से कम दत्तकार्य को भेजा था इसमें अपने दत्तकार्यों का भली प्रकार पूरा करने वाले 28 व्यक्तियों को पहले संपर्क कार्यक्रम (26-31 मई, 1980) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। तथापि केवल 25 व्यक्ति ही इस कार्यक्रम में भाग ले सके।

इस पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे (क) भाग लेने वालों को भारत मे स्वतंत्रता के पश्चात् की अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विकास से परिचित कराना; (ख) भाग लेने वालों को सामान्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से शैक्षिक योजना और प्रबन्ध के क्षेत्र में अद्यतन प्रवृत्तियों से अवगत कराना; (ग) भाग लेने वालों में अपनी तकनीकी दक्षता में संवर्धन करने के लिए अपेक्षित अभिवृत्तियों, कौशलों और ज्ञान का तथा शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के रूप में प्रभाविता का विकास करना; (ङ) भाग लेने वालों में उनकी सतत व्यावसायिक वृद्धि की लक्ष्य करने वाली स्वयं-सीखने की प्रक्रिया का प्रचलन।

इस पाठ्यक्रम के दो घटक थे : (क) **पाठ इकाईयां**—इसमें निम्नलिखित व्यापक क्षेत्र सम्मिलित हैं : (i) भारत में शैक्षिक योजना और प्रशासन की मुख्य समस्यायें, (ii) शैक्षिक प्रशासन के विशेष संदर्भ में आधुनिक प्रबन्ध के मूल सिद्धांत और प्रविधियां; (iii) शैक्षिक योजना के मूल सिद्धांत और प्रविधियां; (iv) शैक्षिक योजना में सांख्यिकीय प्रविधियां तथा सांख्यिकी; (v) शिक्षा का अर्थशास्त्र, (ख) **व्यावहारिक कार्य** : भाग

लेने वालों के व्यावहारिक कार्य (अभ्यास कार्य) में निम्नलिखित तीन तत्व सम्मिलित हैं, (i) पाठ इकाइयों पर आधारित दत्तकार्य, (ii) उपसत्र पत्र, (iii) पुस्तक समीक्षा ।

संकाय के सदस्य के अतिरिक्त डा० हंसरीफ, शैक्षिक योजना/प्रबन्ध परामर्शदाता तथा श्री कुरूडा, बैंकाक के यूनेस्को (आर० ओ० ई० ए० ओ०), कार्यालय में शैक्षिक सांख्यिकी में सहविशेषज्ञ ने भी विशेषज्ञ व्यक्तियों के रूप में इस संपर्क कार्यक्रम में भाग लिया ।

भाग लेने वालों को पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रमाण-पत्र भी दिए गए ।

शैक्षिक योजना और प्रबन्ध में तीसरा पत्राचार पाठ्यक्रम 1980-81 : एक संपर्क कार्यक्रम

(16-21 फरवरी, 1981)

राष्ट्रीय संस्थान ने 1 जुलाई, 1980 से छह महीने तक की अवधि का शैक्षिक योजना और प्रबंध में तीसरा पत्राचार पाठ्यक्रम आयोजित किया। यह पाठ्यक्रम सेवा-कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की तरह था और इसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। 26 व्यक्तियों (दूसरे पाठ्यक्रम से 10 व्यक्ति भी सम्मिलित हैं) ने इस संपर्क कार्यक्रम में भाग लिया।

इस पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य दूसरे पाठ्यक्रम के समान थे। पहले दो पत्राचार पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन तथा क्षेत्र-सूचीकरण के फलस्वरूप तीसरे पाठ्यक्रम की सामग्री में निम्नलिखित संशोधन किए :

(i) निम्नलिखित इकाईयां जोड़ी गई :

—प्रौढ़ शिक्षा

—शैक्षिक प्रौद्योगिकी

—जिला शिक्षा अधिकारियों के परिवर्तित भूमिका

(ii) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) प्रारूप में 'शिक्षा' पर एक टिप्पणी। पाठ्यक्रम में अभ्यास कार्य जोड़कर उसे पर्याप्त समृद्ध बनाया गया। संस्थागत योजना पर प्रधानाचार्य द्वारा संचालित स्टाफ की बैठक में एक अनुरूप अभ्यास की व्यवस्था भी की गई। पिछड़े हुए नौ राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के संबंध में अध्ययन पर एक संशोधित टिप्पणी भी सम्मिलित की गई।

दत्तकार्यों पर चर्चा, उपसत्र पत्र, पुस्तक समीक्षाओं तथा व्यावहारिक अभ्यासों के अतिरिक्त एक सप्ताह के संपर्क कार्यक्रम (16-21 फरवरी, 1981) में निम्न विषयों पर तीन व्याख्यान—चर्चायें भी सम्मिलित की गई :

— यू० के० में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में तत्कालीन विकास—श्री कोलीन मॉरगन

— भारत में शैक्षिक प्रशासन की मुख्य समस्यायें—श्री एस० एन० पंडित

— यू० के० में माध्यमिक स्कूल के मुख्य अध्यापक की भूमिका—श्री कोलीन मॉरगन

भाग लेने वालों की पाठ्यक्रम के सफलतापूर्ण पूरे किए जाने के लिए प्रमाण-पत्र दिए गए।

III

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

31-3-1981 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान के परिषद् के सदस्यों की सूची

1 प्रो० डी० टी० लकड़ावाला, — अध्यक्ष
(भूतपूर्व सदस्य,
योजना आयोग)
द्वारा–सरदार पटेल इंस्टीट्यूट आफ
इकोनामिक एंड सोशल चेंज,
पोस्ट बाक्स नं० 4062,
नवरंग पुरा, अहमदाबाद-380009

2 श्री जे० वीराराघवन — उपाध्यक्ष
कार्यकारी निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान,
नई दिल्ली ।

पदेन

3 डा० (श्रीमती) माधुरी शाह — सदस्य
अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

4 श्री टी० एन० चतुर्वेदी — सदस्य
सचिव, भारत सरकार,
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

5 श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन — सदस्य
वित्तीय सलाहकार
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

6 श्री के० डी० मदान — सदस्य
अतिरिक्त सचिव,
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग,
सरदार पटेल भवन,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली–110001

7. डा० एस० एन० सराफ, — सदस्य
शिक्षा सलाहकार,
योजना भवन, नई दिल्ली ।

8 डा० एस० के० मित्रा — सदस्य
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली ।

अन्य सदस्य

9 श्री एस० कलिता, — सदस्य
शिक्षा सचिव,
असम सरकार,
सचिवालय, दिसपुर,
गोहाटी-781006

10 श्री के० एन० अरधीनरेश्वरन — सदस्य
शिक्षा आयुक्त
बिहार सरकार
नया सचिवालय, पटना

11 श्री जे० डी० गुप्ता — सदस्य
शिक्षा सचिव
हरियाणा सरकार
सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़ ।

12 श्री एच० ए० मिस्त्री — सदस्य
शिक्षा सचिव
गुजरात सरकार
सचिवालय
गाँधी नगर-382010

13 श्री एम० गोपालकृष्णन, आई० ए० एस० — सदस्य
सचिव
आंध्र प्रदेश सरकार
प्राथमिक और माध्यमिक विभाग,
सचिवालय बिल्डिंग
हैदराबाद-2

14 श्री अशोक जोशी — सदस्य
मुख्य सचिव तथा शिक्षा सचिव
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
पोर्ट ब्लेयर

15 श्री बी० एल० हांडा, — सदस्य
शिक्षा निदेशक
हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्लेन-होगन, शिमला-171001

16 श्री रविन्द्र शर्मा — सदस्य
लोक शिक्षा निदेशक
मध्य प्रदेश सरकार
भोपाल

17 श्री श्रीनिवास साहू — सदस्य
लोक शिक्षा निदेशक
उड़ीसा सरकार
न्यू कैपिटल
भुवनेश्वर-1

18 श्री एम० एस० हलप्पा — सदस्य
लोक प्रशिक्षण निदेशक
कर्नाटक सरकार
न्यू पब्लिक ग्राफिस
पोस्ट बाक्स-5049
बंगलौर-560001 — सदस्य

19 श्री टी० आई० सिंह
शिक्षा निदेशक (स्कूल)
मणीपुर सरकार,
इम्फाल

20 श्री एस० के० गुप्ता — सदस्य
लोक शिक्षा निदेशक
अरुणाचल प्रदेश सरकार
न्यू इटानगर-791110

21 डा० मलकोल्म एस० आदीसेशिया — सदस्य
अध्यक्ष
मद्रास विकास अध्ययन संस्थान
79, सेकिंड मेन रोड़
गाँधी नगर, अडियार
मद्रास–600006

22 श्री एम० एन० कपूर — सदस्य
ई–4, महारानी बाग.
नई दिल्ली .

23 प्रो० सत्य भूषण — सदस्य
कुलपति,
जम्मू विश्वविद्यलय,
जम्मू

24 प्रो० गुरुबक्श सिंह — सदस्य
उपकुलपति,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली ।

25 श्रीमती सिवागमी पेथाची — सदस्य
संवाददाता
बेडफोर्ड बिला
7/8 लेथ कास्ल नार्थ स्ट्रीट
सेनथोम
मद्रास-600028

26 डा० एल० बुलिहा — सदस्य
(भूतपूर्व उप कुलपति)
आंध्र विश्वविद्यालय,
1-10-13 अशोक नगर,
हैदराबाद

27 संयुक्त सचिव (योजना) — सदस्य
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

28 परामर्शदाता — सदस्य
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली ।

श्री आर० पी० सक्सेना — सचिव
रजिस्ट्रार
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली ।

परिशिष्ट–2

31-3-1981 को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची

1	श्री जे० वीराराघवन कार्यकारी निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन वित्तीय सलाहकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली	सदस्य
3	संयुक्त सचिव (योजना) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य
4	डा० एस० एन० सराफ शिक्षा सलाहकार योजना आयोग योजना भवन, नई दिल्ली	सदस्य
5	श्री एच० ए० मिस्त्री सचिव शिक्षा विभाग गुजरात सरकार सचिवालय, गांधी नगर-382010	सदस्य
6	डा० मेलकोल्म एस० आदीसेशिया अध्यक्ष मद्रास विकास अध्ययन संस्थान 79, सेकेंड मेनरोड, गाँधी नगर, अडियार मद्रास-600006	सदस्य
	श्री आर० पी० सक्सेना रजिस्ट्रार राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।	सचिव

परिशिष्ट–3

31-3-1981 को वित्त-समिति के सदस्यों की सूची

1	श्री जे० वीराराघवन कार्यकारी निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
2	श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन वित्तीय सलाहकार शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।	सदस्य
3	संयुक्त सचिव (योजना) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।	सदस्य
4	डा० एस० एन० सराफ शिक्षा सलाहकार योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।	सदस्य
5	श्री जे० डी० गुप्ता सचिव, शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार चंडीगढ़ ।	सदस्य
	श्री आर० पी० सक्सेना रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ।	सचिव

परिशिष्ट–4

कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

1	श्री जे० वीराराघवन कार्यकारी निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	श्री टी० एन० चतुर्वेदी निदेशक, आई० आई० पी० ए० नई दिल्ली (शिक्षा मंत्रालय के सचिव के पद का भार नियमित रूप से वहन करते हुए)	सदस्य
3	श्री एच० ए० मिस्त्री शिक्षा सचिव गुजरात सरकार गांधी नगर ।	सदस्य
4	श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन वित्तीय सलाहकार तथा संयुक्त सचिव (योजना) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
5	श्री एस० सत्यम् संयुक्त सचिव (स्कूल) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली ।	सदस्य
6	डा० एस० एन० सराफ शिक्षा सलाहकार योजना आयोग, नई दिल्ली ।	सदस्य
7	श्री आर० के० छाबड़ा सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ।	सदस्य

8	श्री पी० आर० चौहान लोक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	सदस्य
9	डा० एस० के० मित्रा सदस्य निदेशक । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली	
10	डा० आर० पी० सिंघल परामर्शदाता राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली ।	सदस्य
	श्री आर० पी० सक्सेना रजिस्ट्रार राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली ।	सचिव

परिशिष्ट–5

राष्ट्रीय संस्थान का संकाय (31-3-1981 को)

1 श्री जे० वीराराघवन, कार्यकारी निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक
2 डा० आर० पी० सिंघल, परामर्शदाता

अध्येता

3 डा० सी० बी० पद्मानाभन
4 डा० आर० एन० चौधरी
5 डा० सी एल० सपरा
6 डा० एन० एम० भागिया
7 श्री एम० सी० दुबे
8 डा० जी० बी० शर्मा

सह अध्येता

9 श्री के० जी० विरमानी
10 श्री एस० एस० दुदानी
11 श्री एम० एम० कपूर
12 डा० के० डी० शर्मा

अनुसधान/प्रशिक्षण सहयोगी

13 श्री० टी० के० डी० नायर
14 डा० आर० एस० शर्मा
15 श्री सी० मेहता
16 डा० (श्रीमती) सुषमा भागिया
17 डा० (श्रीमती) राधा रानी शर्मा
18 डा० (श्रीमती) कुसुम प्रेमी
19 श्रीमती उषा नायर
20 कुमारी निर्मल मलहोत्रा, पुस्तकाध्यक्ष

प्रशासन

21 श्री आर० पी० सक्सेना, रजिस्ट्रार
22 श्री के० एल० दुग्रा, प्रशासन अधिकारी
23 श्री एस० सुंदराराजन, लेखा अधिकारी

परिशिष्ट–6

स्टाफ संबंधी परीवर्तन

श्री एम० सी० दुबे, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (उपनिदेशक, लोक प्रशिक्षण विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल) ने 5 जून, 1980 को प्रतिनियुक्ति पर अध्येता के रूप में कार्य ग्रहण किया।

डा० के० डी० शर्मा, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में भूतपूर्व उपनिदेशक ने 3 अक्तूबर, 1980 को तदर्थ नियतकार्य पर सह-अध्येता के रूप में कार्य ग्रहण किया ।

प्रो० एम० वी० माथुर, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने 3 अक्तूबर, 1980 को अपनी नियुक्ति के पांच वर्ष पूरे हो जाने पर संस्थान छोड़ दिया।

श्री जे० वीराराघवन, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने निदेशक की अनुपस्थिति में 4 अक्तूबर, 1980 को कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य ग्रहण किया ।

डा० जी० डी० शर्मा, अनुसंधान अधिकारी भारतीय, विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली ने 10 नवम्बर, 1980 को अध्येता के रूप में कार्यग्रहण किया।

श्री के० एल० दुग्रा, निदेशक के निजी सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान की 1 नवम्बर, 1980 से तदर्थ आधार पर प्रशासन अधिकारी के रूप में पदोन्नति की गई।

डा० जे० एन० कौल, परामर्शदाता, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान अपनी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर 31 दिसम्बर, 1980 को सेवानिवृत्त हुए।

डा० आर० पी० सिंघल, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड, नई दिल्ली ने 4 मार्च, 1981 को प्रतिनियुक्ति पर परामर्शदाता के रूप में कार्य–ग्रहण किया।

परिशिष्ट–7

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

1-4-1980 से 31-3-1981 तक की अवधि के लिए आय और भुगतान लेखा

आय			भुगतान	
रोकड़ जमा :			**गैर योजना**	
रोकड़ शेष	1,694.64		अधिकारियों का वेतन	3,15,509.65
अग्रदाय	1,000.00		स्थापना का वेतन	2,83,007.05
बैंक रोकड़	1,46,824.47	1,49,519.11	भत्ते और मानदेय	4,90,383.20
भारत सरकार से अनुदान-सहायता :			छुट्टी यात्रा रियायत	17,296.45
गैर-योजना	18,98,000.00		अतिरिक्त समय भत्ता	50,607.10
योजना	22,01,000.00	40,99,000.00	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	22,617.00
चन्दा			सी० जी० एच० एस० अंशदान	1,284.00
उपहार के रूप में प्राप्त पुस्तकों का मूल्य		910.52	सी० पी० एफ० । जी० पी० एफ० पर नियोक्ता का अंशदान और/ब्याज	57,060.60

कार्यालय आय

छात्रावास किराया	48,348.00	
ब्याज प्राप्ति :		
(i) ब्याज वाली अग्रिम राशि	145.30	
(ii) बचत बैंक खाते पर ब्याज	14,117.73	14,263.03
मकान किराया वसूली		2,322.00
फुटकर आय		3,134.05
अधिकारियों का वेतन (प्रतिनियुक्तियों को दिए गए छुट्टी के वेतन की वसूली)	5,946.25	
भत्ते और मानदेय	835.80	
सी० जी० एच० एस० वसूलियां	447.00	
पेट्रोल तेल और स्नेहक	567.60	75,863.73

छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	18,794.05	12,56,559.10
परिवार पेंशन, तदर्थ सहायता/उपादान		2,444.00
यात्रा भत्ता		36,699.40
भविष्य अभिदान और अग्रिम राशियों की वसूली		1,18,372.00
गैर योजना कार्यक्रम		
(i) अध्येतावृत्तियां और पुरस्कार, फी/अतिथि वक्ताओं को मानदेय	10,582.10	
(ii) भाग लेये वालों को यात्रा भत्ता/दैनिक	1,051.55	
(iii) मुद्रण और लेखन-सामग्री	43,268.80	
(iv) मनोरंजन	6,400.55	
(v) फुटकर व्यय	5,832.30	67,135.30

धन वापसी

(i) सी० पी० एफ० अंशदान का नियोक्ता का हिस्सा	22,821.00	
(ii) डाक व तार घर से पी० बी० एक्स० (निक्षेप) जमा	7,436.00	
मुद्रण और लेखन सामग्री	6,842.55	37,099.55

जमा

आंध्र पेपर मिल से प्राप्त जमा की वापसी	4,800.00
स्टाफ के अग्रिम की वसूलियां (जी० पी० एफ०/ सी० पी० एफ) और भविष्य निधि अंशदान	1,18,372.00

अन्य प्रभार

पानी और बिजली	99,173.57
बीमा	1,821.00
टेलीफोन और ट्रंककाल प्रभार	64,415.43
डाक व तार प्रभार	23,757.53
मुद्रण और लेखन-सामग्री	35,492.62
वाहनों की देखभाल	20,534.29
वर्दियां	11,381.04
फुटकर आकस्मिकताएं	52,570.14
लेखापरीक्षा फीस	10,850 00
किराया, दर और कर	63,491.10
भवन की देखभाल	1,649.16
मनोरंजन और आतिथेय	3,722.95
उपस्कर की देखभाल	21,182.65
फर्नीचर और जुड़नार की देखभाल	1,948.50

वसूल किए जा सकने वाले अग्रिम

मोटर कार/मोटर साइकिल/ स्कूटर अग्रिम	3,960.00	
साइकिल अग्रिम	2,440.00	
त्यौहार–अग्रिम	8340.00	
पंखा-अग्रिम	200.00	
बाढ़/गर्म कपड़े आदि अग्रिम	7,640.00	
राज्य सरकारों/संस्थानों द्वारा अमुदान की वापसी		
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा धन की वापसी	11,333.32	
पेट्रोल तेल और स्नेहक	29,646.75	
कुली प्रभार, ढुलाई और सीमा शुल्क आदि	255.00	
विज्ञापन	10,695.00	
गरम और ठंडे पानी का प्रभार	333.00	
समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं	24,183.15	4,77,099.88
योजना		
स्टाफ और अधिकारियों का वेतन	30519.95	
भत्ते और मानदेय	19,743.50	50,263.45
कार्यक्रम-योजना		
(i) अतिथि वक्ताओं को अध्येतावृत्ति. पुरस्कार, फीस, मानदेय	15,425.60	
(ii) भाग लेने वालों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	6841.75	

नियोजित कार्यक्रम

यूनेस्को-शिक्षा-सुविधाओं के क्षेत्र में अनुभवों का देशों के बीच आदान-प्रदान	3,850.00		
गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं			
(i) आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन	50,000.00		
(ii) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण			
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा दी गई राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां			
अनुदान प्राप्त	56,300.00		
(iii) मुद्रण और लेखन सामग्री		89,828.53	
(iv) मनोरंजन प्रभार		15,868.75	
(v) फुटकर व्यय		13,446.75	1,41,411.38
पूंजीगत व्यय			
फर्नीचर और जुड़ना		47,553.01	
टाइपराइटर		98.25	
कार्यालय के अन्य उपस्कर		85,424.27	1,33,076.13
पुस्तकालय			
(i) पुस्तकों की खरीद		1,36,108.09	
(ii) उपहार के रूप में प्राप्त पुस्तकों का मूल्य		910.52	1,37,018.01
प्रकाशन			25,870.47
जमा (निक्षेप)			
सी० पी० डब्लू० डी० के पास जमा		17,51,851.00	
पेट्रोल पम्प के पास जमानत जमा		500.00	17,52,351.00
विविध देनदार			1,216.80
उचंत लेखा			1,694.64

धन प्रेषण

प्रतिनियुक्तियों के जी० पी० एफ०/ सी० पी० एफ०	44,366.00
आयकर	39,187.00
मकान निर्माण अग्रिम	13,780.00
सी० जी० ई० आई० एस०	258.00
पी० आर० एस० एस०	3,600.00
स्कूटर अग्रिम	600.00
अनिवार्य जमा	2,976.15
अदालत वसूली	400.00
उचंत लेखा	
असंवितरित वेतन और भत्ते	167.50

प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन का एक अध्ययन :

वेतन और भत्ते	241.95	
राज्य सरकारों को अनुदान-सहायता	6,198.04	6,439.99
प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद को अनुदान-सहायता		15,000.00

सुपुर्द कार्यक्रम

यूनेस्को

(i) शिक्षा सुविधाओं के क्षेत्र में देशों के बीच परस्पर अनुभवों का आदान-प्रदान	11,323.80
(ii) अफगानिस्तान से यूनेस्को अध्येतावृत्ति पाने वालों के लिए शिक्षा-योजना प्रशासन तथा सांख्यिकी में प्रशिक्षण कार्यक्रम	20,919.82
(iii) ए० पी० ई० आई० डी० प्रकाशन	3,687.65

यूनिसेफ

प्रशिक्षण सामग्री के विकास के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी	12,404.65

हरियाणा सरकार

स्कूल भवन आदि के निर्माण के लिए नए मानकों का विकास		162.80
आई सी० एस० एस० आर० द्वारा दी जाने वाली राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति		
(i) वेतन और भत्ते	30,182.25	
(ii) आकस्मिक व्यय	1,762.45	31,944.70
वसूल किए जाने वाले अग्रिम		
मोटर कार/मोटर साईकल/ स्कूटर अग्रिम		50.00
साईकिल अग्रिम		3,025.00
उत्सव अग्रिम		10,200.00
(धन) प्रेषण		
प्रतिनियुक्तियों के जी० पी० एफ/ सी० पी० एफ०		44,366.00
आयकर		39,187.00

मकान निर्माण अग्रिम		13,780.00
सी० जी० ई० आई० एस०		258.00
पी० आर० एस० एस०		3,600.00
स्कूटर अग्रिम		600.00
अनिवार्य जमा		2,976.15
अदालत वसूली		400.00
कुल भुगतान		44,21,537.72
रोकड़ बाकी :		
हाथ रोकड़	167.50	
अग्रदाय	1,000.00	
बैंक रोकड़	3,12,257.66	3,13,425.16
कुल योग		47,34,962.88

कुल जोड़ 47,34,962.88

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई अनुदान सहायता जिस उद्देश्य के लिए दी गई थी उसी के लिए उपयोग में ली गई और इसके साथ लगाई गई शर्त का पूरी तरह पालन किया गया है।

हस्ताक्षर
(एस० सुन्दरराराजन)
लेखा अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(जे० वीराराघवन)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

31 मार्च, 1981 तक रोकड़ बाकी (अन्त शेष) का विवरण

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम		कुल आय	भुगतान	शेष
1.	**गैर प्लान**				
	रोकड़ जमा	16,833.42			
	प्राप्त अनुदान	18,98,000.00			
	आय	2,58,715.28	21,73,548.70	19,72,084.68	2,01,464.02
2.	**प्लान**				
	रोकड़ जमा	93,771.93			
	प्राप्त अनुदान	22,01,000.00			
	फुटकर आय	11,333.32	23,06,105.25	22,61,237.31	44,867.94
	सुपुर्द कार्यक्रम				
3.	**यूनेस्को**				
	(क) शिक्षा को स्थानीय सहयोग का प्रबन्ध		4,549.90	—	4,549.90

	(ख) स्कूल नामांकन की विधियों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी	17,846.16	—	17,846.16
	(ग) ए० पी० ई० आई० डी० प्रकाशनों का अनुवाद	2,605.81	3,687.65	(—)1,081.84
	(घ) शिक्षा सुविधाओं के क्षेत्र में देशों के बीच अनुभवों का आदान प्रदान	3,850.00	11,323.80	(—)7,473.80
4.	**यूनिसेफ**			
	प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी	12,404.65	12,404.65	—
5.	**यू० एन० डी० पी०**			
	अफगानिस्तान से यूनेस्को अध्येतावृत्ति पाने वालों के लिए शिक्षा योजना प्रशासन और सांख्यिकी का प्रशिक्षण कार्यक्रम	—	20,919.82	(—)20,919.82

6.	**हरियाणा सरकार**			
	स्कूल भवन आदि के निर्माण के लिए नए मानक स्थापित करना	(—)187.40	162.80	(—)350.20
7.	**भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद**			
	प्रो० एस० सी दुबे को दी गई राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	56,300.00	31,944.70	24,355.30
8.	**गृह मंत्रालय अनुसंधान परियोजनाएं**			
	(i) आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन; और	50,000.00	—	50,000.00
	(ii) अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिए तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण			

9. **उचंत लेखा**

असंवितरित वेतन और भत्ते				
पहली रोकड़	1,694.64			
वर्ष के दौरान प्राप्त	167.50	1,862.14	1,694.64	167.50
			कुल योग	3,43,250.82
			मद सख्य 3(ग) (घ) 5 और 6 घटाएं	29,825.66
			अंत रोकड़	3,13,425.16

विवरण

हाथ रोकड़	167.50	
अग्रदाय	1,000.00	
बैंक रोकड़	3,12,257.66	3,13,425.16

हस्ताक्षर
(एस० सुन्दराराजन)
लेखा अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(जे० वीराराघवन)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

1980-81 वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

व्यय			आय		
वेतन और भत्ते			**भारत सरकार से प्राप्त**		
अधिकारियों क वेतन			**अनुदान–सहायता**		
(गैर-योजना)	3,15,509.65		गैर-योजना	18,98,000.00	
प्रतिनियुक्तों से वसूल किया गया छुट्टी वेतन,	5,946.25	3,09,563.40	योजना	22,01,000.00	40,99,000.00
स्थापना का वेतन (गैर-योजना)		2,83,007.05	**घटाएं पंजीकृत अनुदान** पुस्तकालय पुस्तकें	1,36,108.09	
स्टाफ/अधिकारियों का का वेतन (योजना)		30,519.95 6,23,090.40	फर्नीचर, जुड़नार और कार्यालय के अन्य उपस्कर जैसे कि स्टाफ कार सहित टाइपराइटर आदि	1,33,076.13 2,69,184.22	38,29,81578
भत्ते और मानदेय					
गैर-योजना)	4,90,383.20		छात्रावास किराया		48,348.00
वसूलियां	3,157.80	4,87,225.40			

भत्ते और मानदेय					
(योजना)	19,743.50		**प्राप्त ब्याज**		
अतिरिक्त समय भत्ते	50,607.10		(i) पूंजी निवेश	शून्य	
अतिरिक्त समय भत्ते	50,607.10				
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	22,617.00				
सी० जी० एच० एस० अंशदान	1,284.00		(ii) बचत बैंक खाते पर ब्याज (जी० पी० एफ/ सी० पी० एफ०		
छुट्टी यात्रा रियायत	17,296.45				
नियोक्ता का अंशदान और जी० पी० एफ०/सी० पी० एफ०			खाता)	14,117.73	
पर ब्याज	57,060.60		( ) वसूल किए जा सकने वाले		
छुट्टी वेतन और पेंशन			अग्रिम	145.30	14,263.03
अंशदान	18,794.05	6,74,628.10	(iv) विविध आय		3,134.05
परिवार पेंशन/			सी० जी० एच० एस०		
तदर्थ राहत		2,444.00	वसूलियां		447.00
स्टाफ को यात्रा भत्ता		36,699.40	**धन वापसी**		
अन्य प्रभार			(i) नियोक्ता का जी० पी० एफ० द्वारा		
पानी और बिजली	99,173.57		अनुदान		22,821.00

बीमा		1,821·00
टेलीफोन और ट्रंककाल प्रभार		64,415·43
डाक और तार प्रभार		23,757·53
मुद्रण और लेखन-सामग्री	35,492·62	
वसूलियां घटाई	6,842·55	28,650 07
वाहन की देखभाल		20,534·29
वर्दियां		11,381·04
फुटकर आकस्मिकताएं		52,570·14
लेखा-परीक्षा फीस		10,850·00
किराया दर और कर		63,491·10
भवन की देखभाल		1,649·16
मनोरंजन और अतिथि सत्कार		3,722·95
उपस्कर की देखभाल		21,182·65

(ii) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान की खर्च न की गई राशि	11,333·32
(iii) डाक व तार विभाग द्वारा पी० बी० एक्स जमा	1,436·00

फर्नीचर और जुड़नार का देखभाल		1,948·50	
पेट्रोल तेल और स्नेहक	29,646·75		
वसूलियां घटाई	567·60	29,079·15	
कुली खर्च, ढुलाई और सीमा शुल्क		255·00	
विज्ञापन		10,695·00	
गरम और ठंडे मौसम का प्रभार		330·00	
समाचार पत्र और पत्रिकाएं		24,183·15	4,69,689·73
कार्यक्रम योजना			
गैर योजना	67,135·30		

योजना	1,41,411·38	2,08,546·68	2,08,546·68
प्रकाशन			25,870·47
शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन का अध्ययन			
वेतन और भत्ते		241·95	
राज्यों सरकारों/ संस्थाओं को अनुदान सहायता		6,198·04	6439·99
अनुसंधान कार्यक्रमों को अनुदान-सहायता			
प्रशासनिक स्टाफ कालेज हैदराबाद			15,000·00

व्यय से आय की अधिकता	18,75,189·41		
कुल जोड़ :	39,37,598·18	कुल जोड़ :	39,37,598·18

हस्ताक्षर
(एस० सुन्दरराजन)
लेखा अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(जे० वीराराघवन)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

31 मार्च, 1981 की समाप्ति पर तुलनापत्र

देयताएं			परिसंपत्तियां		
पंजीकृत अनुदान			भूमि और भवन, उपस्कर		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार			और मशीनरी		20,01,586.09
बकाया राशि	39,13,836.26		**फर्नीचर जुड़नार,**		
			स्टाफ कार सहित गाड़ियां		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,69,184.22	41,83,020.48	पिछले तुलनपत्र के		
खर्च पर आय अधिक्य			अनुसार शेष	13,79,889.83	
पिछले वर्ष के अनुसार	17,13,335.63		वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,33,076.13	15,12,965.96
वर्ष के दौरान परिवर्धन	18,75,189.41		**पुस्तकालय पुस्तकें**		
*वर्ष 1974–75 और			पिछले तुलनपत्र के अनुसार		
1975–76 से संबंधित			शेष	1,37,018.61	
समायोजन को घटाकर	(—) 2.28	35,88,522.76			
बिना खर्च किया गया			*वर्ष 1974–75 और		
अनुदान शेष :			1975-76 से सम्बन्धित		
			समायोजन को घटाकर	(—)2.28	6,62,634.12

*निरीक्षण रिपोर्ट 1978-79 पेरा i (vi) से वर्ष 1974-75 और 1975-76 से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्ति को निपटाने के लिए समायोजन किया गया है।

यूनेस्को		13,840.42		**जमा और निवेश प्रतिभूतियां**			
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्		24,355.30		पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	1,800.00		
गृह मंत्रालय		50,000.00	88,195,72	वर्ष के दौरान परिवर्धन	500.00	2,300,00	
भविष्य निधि				सी० पी० डब्लू० डी०			
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	3,21,234.00			पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	15,75,912.63		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,86,262.00	5,07,496.00		वर्ष के दौरान परिवर्धन	17,51,851.00	33,27,763,63	
अग्रिम		1,68,417.00	3,39,079.00	**वसूली-योग्य अग्रिम**			
उचंत लेखा				त्योहार अग्रिम	7,100.00		
पिछले वर्ष के अनुसार	1,694.64			साईकिल अग्रिम	1,740.00		
1980-81 के दौरान परिवर्धन	167.50	1,862.14		बाढ़ अग्रिम	160.00		
1980-81 के दौरान निकासी घटाकर		1,694.46	167,50	मोटर साईकिल/ स्कूटर अग्रिम	2,300.00	11,300.00	
उपहार और दान				**विविध देनदार**			
पिछले वर्ष के अनुसार		शून्य		लेखा परीक्षा निदेशक केन्द्रीय राजस्व	9,398.00		

वर्ष के दौरान परिवर्धन (पुस्तकालय पुस्तकें)	910.52	910.52	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	4,912.50	
			विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2,659.50	
			हरियाणा सरकार	350.20	
			संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	20,919.82	38,240.02
			रोकड़ शेष		
			रोकड़ शेष	167.50	
			अग्रदाय	1,000.00	
			बैंक में : चालू खाता	3,12,257.66	
			बचत बैंक खाता	3,29,681.00	6,43,106.16
	कुल जोड़	81,99,895.98		कुल जोड़	81,99,895.98

हस्ताक्षर
(एस० सुन्दरराजन)
लेखा अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक-योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(जे० वीराराघवन)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक-योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

वर्ष 1980-81 को नियत कार्यक्रमों के लिए प्राप्त अनुदानों का लेखा प्रपत्र

(यूनेस्को/यूनीसेफ, यू० एन० डी० पी, हरियाणा, आई० सी० एस० एस० आर०, गृह मंत्रालय)

प्राप्ति			अदायगी	
1. यूनेस्को			ए० पी० ई० आई डी० प्रकाशनों का अनुवाद	3,637.65
(क) शिक्षा के स्थानीय समर्थन का प्रबंधन : रोकड़ जमा	4,549.90		शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्र में अंत: राष्ट्र अनुभव का विनिमय	11,323.80
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	शून्य	4,549.90	अंत शेष	13,840.42
(ख) स्कूल नामांकन को दर्शाने की विधियों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी रोकड़ जमा	17,846.16			
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	शून्य	17,846.16		
(ग) ए० पी० ई० आई० डी० प्रकाशन : रोकड़ जमा	2,605.81			

वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	शून्य	2,605·81			
(घ) शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्र में अंतः राष्ट्र अनुभव का विनिमय : रोकड़ जमा	शून्य				
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	3,850·00	3,850·00			
	कुल जोड़	28,851·87		कुल जोड़	28,851·87

2. **यूनिसेफ**

			यूनेस्को को वापिस की गई राशि		12,404·65
प्रक्षिक्षण साधनों के विकास के लिए प्रशिक्षण संगोष्ठी रोकड़ जमा	12,404·65		अंत शेष		शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	शून्य	12,404·65			
	कुल जोड़	12,404·65		कुल जोड़	12,404·65

3.	यू० एन० डी० पी० स० रा० वि० कार्यक्रम अफगानिस्तान के यूनेस्को अध्येतावृत्ति धारक के लिए शैक्षिक योजना, प्रशासन और सांख्यिकी प्रशिक्षण :			
	रोकड़ जमा	शून्य		
	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	शून्य		
	कुल जोड़	शून्य	कुल जोड़	शून्य
4.	**हरियाणा सरकार**			
	स्कूल भवन निर्माण के लिए प्रतिमानों का विकास			
	रोकड़ जमा	(–)187.40		
	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	शून्य		
	कुल जोड़	(–)187.40	कुल जोड़	(–)187.40

5. **भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्** प्रो० एस० सी० दुबे को दी गई अध्येतावृत्ति		वेतन और भत्ते	30,182.25	
		आकस्मिक खर्च	1,762.45	31,944.70
रोकड़ जमा	शून्य	अंत शेष		24,355.30
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	56,300.00			
कुल जोड़	56,300.00	कुल जोड़		56,300.00
6. **गृह मंत्रालय**				
अनुसंधान परियोजनाएं :				
( ) आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययय, और		वर्ष के दोरान किया गया व्यय	शून्य	
(ii) तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का उद्‌भासन		अंत शेष	50,000.00	
रोकड़ जमा	शून्य			
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	50,000.00			
कुल जोड़	50,000.00	कुल जोड़		50,000.00

हस्ताक्षर
(एस० सुदराराजन)
लेखा अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(जे० वीराराघवन)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

वर्ष 1980-81 के लिए भविष्य निधि लेखों/अंशदायी भविष्य निधि के लेखों का लेखा प्रपत्र

आय		भुगतान	
1-4-80 को		वर्ष के दौरान	
रोकड़ जमा	3,11,836.00	भुगतान	1,68,417.00
वर्ष के दौरान		अंत शेष	3,29,681.00
प्राप्त राशि	1,86,262.00		
कुल जोड़ :	4,98,098.00	कुल जोड़	4,98,098.00

(एस० सुदराराजन)
लेखा अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

(जे० वीराराघवन)
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के पूर्ववर्ती लेखाओं और तुलन-पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में और मोरी सर्वोत्तम जानकारी और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और संस्थान की बहियो में किए गए उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और संस्थान के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ताक्षर
एम० एम० मेहता
निदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली :
दिनांक : 16 दिसम्बर, 1981

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9361
Date 5.12.96